हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

वर्तमान निदेशक मंडल

श्री राणा सोम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री आर. के. भार्गव
श्री हेम पान्डे

कंपनी सचिव

श्री सी. एस. सिंघी

लेखा परीक्षक

मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, कोलकाता
मेसर्स दिनेश मेहता एंड कंपनी, नयी दिल्ली

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
इंडियन ओवरसीज बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सिंडिकेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

पंजीकृत कार्यालय

ताम्र भवन
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
कोलकाता - 700 019

विषय सूची

- निदेशक मंडल 1
- निदेशक मंडल का प्रतिवेदन 3
- निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट 19
- लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 20
- 10 वर्षों पर एक दृष्टि 24
- लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन 25
- लेखा नीतियाँ 30
- तुलन पत्र 34
- लाभ एवं हानि लेखा 35
- लेखा की सारणियाँ 36
- टाउनशिप एवं सामाजिक सुविधाओं पर पूँजीगत व्यय 56
- सामाजिक उपरिव्यय सहित टाउनशिप पर व्यय 57
- तुलन पत्र का सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा 58
- नकदी स्थिति का विवरण 59

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
कोलकाता के शेयरधारको

1. आपके निदेशक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का लेखा परीक्षित विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन के साथ कंपनी का छत्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं :

2. सामान्य

2.1 वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रमुख मदों के संबंध में कंपनी का उत्पादन कार्य-निष्पादन नीचे प्रस्तुत है :

मद	1. 4. 2003 से 31. 3. 2004		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि %
अयस्क उत्पादन ('000टन)	3061	2895	95
सांद्र धातु (टन)	30000	28306	94
कैथोड (टन)	40000	30598	76
वायर राड (टन)	35000	28003	80
वायर बार (टन)	—	455	—

2.2 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान ताँबे की बिक्री 30144 टन हुई। वर्ष के दौरान रु. 499.28 करोड़ का कारोबार हुआ और कंपनी को वर्ष 2002-2003 में रु. 147.70 करोड़ के शुद्ध घाटे की तुलना में वित्त वर्ष 2003-2004 में रु. 56.16 करोड़ का घाटा हुआ।

2.3 2003-2004 के दौरान जनशक्ति में कुल 1870 की कमी हुई, जिसमें से 1808 को स्वै. से. नि. योजना द्वारा पृथक किया गया। स्वै. से. नि. योजना द्वारा 1808 कर्मचारियों को पृथक करने पर रु. 126.75 करोड़ की लागत आयी। 31.3.2004 को हि.कॉ.लि. की कुल जनशक्ति 5995 थी।

3.1 वर्ष 2003-2004 के दौरान मलंजखंड ताम्र परियोजना में हुआ 23.21 लाख टन अयस्क उत्पादन तथा सांद्रक संयंत्र में 93.58% की वसूली अब तक की सर्वोच्च कीर्तिमान थी।

3.2 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित गौण उत्पाद निम्न प्रकार थे :-

सोना- 195 कि.ग्रा., चाँदी - 3207 कि.ग्रा., गंधकाम्ल - 20439 टन, सेलेनियम - 2357 कि.ग्रा., निकल सल्फेट - 10 टन

4. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

आईसीसी इकाई को छोड़कर कंपनी की सभी इकाइयों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कमोबेश संतोषजनक रही। आईसीसी में झा.रा.वि.प. के भुगतान दोष के कारण दा.घा.नि. द्वारा यदाकदा विद्युत कटौती की गई। हिकॉलि ने इस विषय को दा.घा.नि. और झा.रा.वि.प. के समक्ष उठाया है और अद्यतन स्थिति तुलनात्मक स्थिर है।

5. ऊर्जा संरक्षण

हि. कॉ. लि. ने अयस्क खनन से ताम्र धातु तथा अन्य गौण उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण

3. उत्पादन कार्य निष्पादन

उत्पाद	2003 - 2004 (अप्रैल 2003 से मार्च 2004)				2002 - 2003 (अप्रैल 2002 से मार्च 2003)			
	केसीसी	आईसीसी	एमसीपी	कुल	केसीसी	आईसीसी	एमसीपी	कुल
उद्वाहित अयस्क ('000 टन)	574	–	2321	2895	702	89	2273	3064
अयस्क पेषण ('000 टन)	678	–	2265	2943	738	89	2318	3145
सांद्र धातु (टन)	6249	–	22057	28306	7306	786	22732	30824
फफोलेदार ताँबा (टन)	28173	2697	–	30870	29281	15313	–	44594
कैथोड (टन)	27303	3295	–	30598	24026	12549	–	36575
सी सी वायर राड (टन)	–	–	–	28003	–	–	–	30346

केसीसी-खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, आईसीसी-इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, एमसीपी-मलंजखंड ताम्र परियोजना

उपायों को निरन्तर प्राथमिकता दी है। प्रचालन को ऊर्जा दक्ष बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कंपनी ने उत्पादन के अधिकांश क्षेत्रों में विशिष्ट उपभोग की दर में गत वर्षों की तुलना में कमी लाने में सफलता प्राप्त की। इस संबंध में केसीसी और मताप (आईसीसी वर्ष के अधिकतम भाग में बंद थी) में हासिल उपलब्धियां नीचे दी गई है :

	विशिष्ट उपभोग	इकाई	2003-04	2002-03
1.	केसीसी खान ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	23.60	26.23
2.	केसीसी प्रगालक ऊर्जा एसटीपी सहित	किलोवाट घंटा/टन	1203.38	1275.95
3.	केसीसी रिफाइनरी ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	361.91	372.28
4.	केसीसी गंधकाम्ल ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	295.65	412.38
5.	मताप अयस्क पेषण ऊर्जा	किलोवाट घंटा/टन	19.22	19.34
6.	केसीसी प्रगालक ईंधन उपभोग	लीटर/टन	696.08	848.20
7.	केसीसी प्रगालक आक्सीजन उपभोग	एनएम^3/टन	684.71	703.31

6. वित्तीय

6.1 वर्ष 2003-2004 (अप्रैल 2003 से मार्च 2004) के दौरान कंपनी के वित्तीय परिणाम वर्ष 2002-2003 (अप्रैल 2002 से मार्च 2003) की तुलना में संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु.)

	मद	2003-2004	2002-2003
क.	बिक्री	499.28	505.68
ख.	उत्पादन का मूल्य	514.84	501.53
ग.	मूल्यह्रास, प्रावधान और बट्टे खाते तथा ब्याज को छोड़कर उत्पादन लागत	481.11	554.56
घ.	मूल्यह्रास, प्रावधान और बट्टे खाते तथा ब्याज पूर्व लाभ/(हानि)	33.73	(53.03)
ङ.	मूल्यह्रास और प्रावधान एवं बट्टे खाते	30.26	35.10
च.	ब्याज	59.63	59.57
छ.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(56.16)	(147.70)
ज.	कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
झ.	करोत्तर लाभ/(हानि)	(56.16)	(147.70)
ट.	वर्धित मूल्य	209.42	147.37

6.2 नकद घाटा वर्ष 2002-2003 के रु. 112.60 करोड़ की तुलना में 2003-2004 के दौरान रु. 25.90 करोड़ था।

6.3 31.3.2004 को कंपनी का पूँजीगत ढाँचा निम्न प्रकार रहा:

शेयर पूँजी	(करोड़ रु.)
क. अधिकृत पूँजी	
(i) प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर	700.00
(ii) प्रत्येक रु. 1000/- के 7.5% वाले नान क्युमुलेटिव प्रिफरेन्स शेयर	200.00
ख. निगमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी	
(i) ईक्विटी शेयर	362.88
(ii) 7.5% वाले नान क्युमुलेटिव प्रिफरेन्स शेयर	180.73
ग. आबंटन के लिए शेष शेयर राशि	365.34

6.4 सरकार द्वारा ईक्विटी में निवेश

वर्ष 2003-04 के दौरान हि.कॉ.लि. ने ईक्विटी के रूप में सरकार से रु. 113.84 करोड़ प्राप्त किए, जिसमें योजना व्यय के लिए रु. 20.00 करोड़ तथा शेष रु. 93.84 करोड़ कार्यकारी पूँजी के रूप में पिछली देयताओं और नकद घाटे को पूरा करने के लिए थे।

6.5 सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2003-04 के दौरान हि.कॉ.लि. ने सरकार से रु. 25.00 करोड़ स्वै. सेवा-निवृत्ति योजना द्वारा जनशक्ति को पृथक करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किए।

6.6 बांड (सुरक्षित और असुरक्षित)

कुल रु. 63.33 करोड़ के 14% असुरक्षित निजी तौर पर दिए गए बांड में से कंपनी द्वारा पहले ही रु. 39.83 करोड़ प्रतिदेय कर दिए जाने के फलस्वरूप रु. 23.50 करोड़ शेष है।

31.3.2004 को कुल बांड एवं डिबेंचर देयता का विवरण निम्नलिखित रहा:

(करोड़ रु.)

14.00% असुरक्षित बांड	23.50
14.75% सुरक्षित बांड	8.59
15.00% सुरक्षित बांड	29.53
10.65% सुरक्षित बांड	150.00
14% डिबेंचर	87.50
कुल	299.12

बांड और डिबेंचर और भी प्रतिदेय कर दिए गए हैं तथा इस रिपोर्ट की तिथि को बकाया देयता स्थिति इस प्रकार थी : 14% असुरक्षित

बांड - रु.15.80 करोड़, 14.75 % सुरक्षित बांड - रु. 4.91करोड़, 15% सुरक्षित बांड - शून्य, 10.65% सुरक्षित बांड -रु. 150 करोड़ और 14% डिबेंचर - रु. 81.25 करोड़।

6.7 राजकोष में अंशदान

वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी ने नियमानुसार कुल 94.16 करोड़ रु. का अंशदान राजकोष में किया, जो नीचे प्रस्तुत हैः

(करोड़ रु.)

विवरण	
उत्पादन शुल्क	69.68
सीमा शुल्क	2.04
बिक्री कर	9.12
रायल्टी एवं उपकर	10.18
अन्य	3.14
कुल	94.16

6.8 विदेशी मुद्रा में व्यय

2003-2004 के दौरान कंपनी ने कच्चे माल, घटकों, भंडार वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों और मशीनों आदि के आयात पर रु. 47.90 करोड़ की विदेशी मुद्रा व्यय की है। इसमें मुख्यतः सान्द्र के आयात हेतु रु. 45.68 करोड़ तथा घटकों, अतिरिक्त पुर्जों और भंडार पर रु. 2.14 करोड़ का व्यय शामिल है।

6.9 विदेशी मुद्रा अर्जन

वर्ष 2003-04 के दौरान कंपनी ने रिवर्टों का निर्यात कर का 2002-03 के रु. 9.97 करोड़ की तुलना में रु. 20.90 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

7. विपणन

7.1 वर्ष 2002-03 के 3099 मी. टन प्रतिमाह की औसत बिक्री की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान 2512 मी. टन मासिक औसत से ताँबे की कुल बिक्री 30144 मी. टन हुई।

7.2 2002-03 के 2476 मी. टन औसत बिक्री के विपरीत वर्ष 2003-2004 के दौरान सी.सी. राड की बिक्री 2300 के औसत से 27603 मी. टन हुई।

7.3 2002-03 के 5114 मी. टन की तुलना में वर्ष के दौरान कैथोड एवं विविध ताँबे की बिक्री 2080 मी. टन थी।

7.4 2002-03 के 2366 मी. टन के विपरीत उपर्युक्त कुल ताँबे की बिक्री में से वायर बार की बिक्री 461 मी. टन थी।

7.5 2003-04 में मुख्यतः जेली फिल्ड टेलीकॉम केबल के ग्राहकों द्वारा कम माल उठाने के कारण सी सी राड की बिक्री कम हुई क्योंकि दूर संचार विभाग द्वारा आदेशों को अंतिम रूप देने में देर हुई थी और मात्रा भी कम थी।

जुलाई, 2003 से आईसीसी में प्रमुख शट डाउन के कारण 2003-04 के दौरान कॉपर कैथोड की उपलब्धता घट गई थी और हि.का.लि. को मिश्र उत्पाद की योजना बनानी पड़ी, जिसने अधिकतम वसूली दी। इसलिए अस्थायी रूप से 2003-04 में वायर बार का उत्पादन नहीं किया गया। इसके अलावा 2003-04 में भारत सरकार की टकसालों द्वारा वर्ष के दौरान नया आदेश नहीं दिये जाने के फलस्वरूप कोई माल नहीं उठाया गया। इसलिए भी कैथोड की बिक्री में कमी आयी है।

8. नई परियोजनाओं/विस्तार योजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान कोई नई परियोजनाएँ/विस्तार योजनाएँ हाथ में नहीं ली गई।

9. लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों का विकास

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सभी इकाइयाँ अपने क्षेत्र और आसपास के लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों से सामग्री लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करती रही। लघु उद्योगों/एनएसआईसी इकाइयों से ग्राइंडिंग मीडिया, अर्थ मूविंग उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे आदि जैसे सामान नियमित रूप से खरीदे जाते हैं। लघु उद्योगों एवं सहायक इकाइयों को आयात विकल्प सामानों के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

10. अनुसंधान एवं विकास

i) विशिष्ट क्षेत्र जिनमें वर्ष के दौरान अ. एवं वि. गतिविधियाँ की गयीं: कुछ नहीं।

ii) अ. एवं वि. के परिणामस्वरूप मिले लाभ : कुछ नहीं।

iii) भावी कार्य योजना : हि.कॉ.लि द्वारा 2004-05 में कार्यारम्भ करने के लिए दो योजनाएं हाथ में ली गई हैं। एक का संबंध एमसीपी में लीन ग्रेड सल्फाइड अयस्क में जैव-विक्षालन से है और दूसरी का संबंध आक्सीडाईज्ड अयस्क के सज्जीकरण के लिए रिएजेन्टों के समुचित सम्मिश्रण के चयन से है। प्रथम योजना की परियोजना तैयार कर ली गई है और एस एंड टी सहायता के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दी गयी है। दूसरी परियोजना टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के परामर्श में तैयार की जा रही है।

iv) अ. एवं वि. पर व्यय : लागू नहीं होता।

11. विज्ञान एवं तकनीकी /तकनीकी अन्तर्लयन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रक्रिया लागत में कमी के ध्येय से प्रचालनीय प्रथाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया। वर्ष के दौरान कोई नई तकनीकी का अन्तर्लयन नहीं किया गया।

12. कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध

12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हि. कॉ. लि. में औद्योगिक संबंध की स्थिति शांतिपूर्ण और सौहार्द्रप्रद रही।

12.2 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के तहत श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5.6.2003 के पत्र सं.एल-42024/53/2002- औ.सं. (विविध) द्वारा मंजूर अनुमति के अनुसार 17. 6. 2003 से हिन्दुस्तान कॉपर लि. की मुसाबनी स्थित सुरदा खान एवं अन्य इस्टेब्लिशमेंटों को बंद कर दिया गया। कामगारों को कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना द्वारा पृथक कर दिया गया। तथापि, सुरदा खान को वर्कर्स को-आपरेटिव द्वारा चलाने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए सरकारी अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है।

12.3 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 1. 10. 2003 के पत्र सं 42024/54/2002- औ.सं. (विविध) द्वारा खेतड़ी खान बंदी की अनुमति भी प्राप्त हो गयी थी। तथापि खेतड़ी तांबा खान की बंदी के लिए मंजूर अनुमति के विरूद्ध केसीसी में कार्यरत चार पंजीकृत श्रमिक संघों ने माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर में रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने खेतड़ी खान की बंदी पर स्थगन लगा दिया। माननीय न्यायालय का अन्तिम निर्णय लंबित रहने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार (लं.धा.बा) में ताँबे के बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाने के लिए खेतड़ी खान के निलंबनाधीन प्रचालनों को फिर से चालू कर दिया गया।

13. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति

रु. 126.75 करोड़ के सहायता अनुदान का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 1808 कर्मचारियों को स्वै. सेवानिवृत्ति देकर कार्यमुक्त कर दिया गया।

14. अ. जा./अ. ज. जा./अ. पि. व. के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पदों के आरक्षण के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का पूरा-पूरा अनुपालन किया जाता है। 31. 3. 2004 को कंपनी के कुल 5995 कर्मचारियों में से 15.60%, 12.43% और 11.68% कर्मचारी क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के थे। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई।

15. प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी

वर्षों से कंपनी में सौहार्दप्रद औद्योगिक संबंध का आधार स्तम्भ कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी रहा है। तीनों स्तर नामतः शीर्ष स्तर, इकाई स्तर और शॉप फ्लोर स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय मंचों के सफलतापूर्वक प्रचालन ने लागत में कमी और उत्पादन, सुरक्षा, कल्याण आदि के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान किया है।

16. साम्प्रदायिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता

खेतड़ी, मलंजखंड और घाटशिला के साथ-साथ अन्य कार्य-स्थलों में स्थित टाउनशिपों में विभिन्न जाति, मत, धर्म के कर्मचारी एकता की भावना के साथ रहते हैं और सभी धार्मिक उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं।

17. महिलाओं के रोजगार की स्थिति

31. 3. 2004 को हि. कॉ. लि. की कुल संख्या की तुलना में वर्गवार महिला कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ग	कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत
वर्ग - क	664	16	2.41
वर्ग - ख	160	11	6.88
वर्ग - ग	4253	140	3.29
वर्ग - घ	918	163	17.76
कुल	5995	330	5.50

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हि. कॉ. लि. ने अपनी सभी इकाइयों तथा कार्यालयों में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" के लिए समितियाँ गठित की हैं। हि. कॉ. लि. के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों में भी इस संबंध में एक प्रावधान शामिल किया गया है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान कर्मचारियों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

18. मानव संसाधन विकास

कंपनी द्वारा सभी स्तर के कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं विकास को समुचित महत्व दिया जाता हैं।

उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभप्रदता के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी की प्रकृति समझने/अद्यतन तकनीकी को अपनाने के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के अलावा संगठन रचना और सही रूख अपनाने, टीम भावना विकसित करने तथा कार्य संस्कृति पर विशेष बल दिया गया।

कामगार

सांविधिक, सुरक्षा, तकनीकी एवं कार्यकारी कार्यक्रमों के अलावा कामगारों को सामान्य शिक्षा एवं विकास कार्यक्रमों के लिए भी मुक्त किया गया। समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कामगारों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारी परियोजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 1359 कामगारों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

पर्यवेक्षक

उत्पादकता, सुरक्षा, लागत नियंत्रण, सम्प्रेषण एवं मानव संबंधों पर पर्यवेक्षीय विकास कार्यक्रमों में 66 प्रथम पंक्ति के शॉप फ्लोर एवं खान पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

कार्यपालक

कार्यपालकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सुनियोजित शिनाख्त के आधार पर देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संकाय को लेकर कंपनी में प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। 348 कार्यपालकों को या तो कंपनी के घरेलू कार्यक्रमों के लिए मुक्त किया गया अथवा देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में प्रतिभूत किया गया।

19. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कंपनी के कार्यालयों एवं इकाइयों में हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत अनेक हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री, खान राज्य मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव और अध्यक्ष महोदय के संदेश पढ़े जाने के लिए सभी कार्यलयों/इकाइयों में वितरित किए गए। 2003-2004 के दौरान कंपनी में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रबल प्रयास किए गए। प्रधान कार्यालय और इकाइयों में हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन कर कर्मचारियों को अपने कार्यसाधक ज्ञान का अपने दैनन्दिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग बढ़ाने के संबंध में प्रेरित किया गया। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिन्दुओं को और प्रभावी बनाया गया। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर शत प्रतिशत हिन्दी में दिया गया। प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष महोदय तथा इकाइयों में इकाई प्रधान की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपनी तिमाही बैठकों में हिन्दी की प्रगति तथा इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की नियमित समीक्षा की। 26 मई, 2003 और 8 अक्तूबर, 2003 को सम्पन्न खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दोनों बैठकों में अध्यक्ष महोदय ने भाग लिया। 4 नवम्बर, 2003 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने हि.कॉ.लि. के प्रधान कार्यालय का दौरा किया और कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का विस्तार से निरीक्षण किया तथा हिन्दी के प्रयोग को सुधारने और बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। कंपनी की वेबसाइट को द्विभाषिक बना दिया गया है। कंपनी की सभी स्टाम्पों को द्विभाषिक बना दिया गया है। कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग को और बढ़ाया गया। वर्ष 2002-03 का कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया है। निगम स्तर पर कार्यालय आदेश जारी कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में हस्ताक्षर करने तथा फाइलों में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखने के निर्देश दिए गए हैं।

20. सुरक्षा

हि. कॉ. लि. की सभी गतिविधियों में सुरक्षा को निरन्तर प्राथमिकता दी जाती रही है। 2003-2004 के दौरान खान में कुल 6 घटनाएं हुई, जो 2002-2003 के दौरान हुई 10 दुर्घटनाओं की तुलना में 40% कम है। दो इकाइयाँ यथा केसीसी और आईसीसी ने खानों में शून्य दुर्घटना की रिपोर्ट दी है। वर्ष के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई।

खान में सुरक्षा पर फरवरी, 2002 को हुए 9वें सम्मेलन की अनुशंसाओं तथा त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है। सुरक्षा संबंधी विषयों पर निगम स्तर की बैठकों में परियोजना प्रधानों तथा मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किया जाता है।

21. सतर्कता गतिविधियाँ

अच्छे नियंत्रण के लिए आकस्मिक निगरानी/नियमित निरीक्षण किए गए। सांविधिक एजेंसियों को रिटर्न और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मु.सु.आ. से समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों का

एहतियाती और निवारक उपायों के रूप में पालन तथा अनुसरण किया गया। प्रधान कार्यालय सहित सभी इकाइयों में 31 अक्तूबर से 6 नवम्बर, 2003 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के आयोजन द्वारा जागरूकता पैदा करने का अभियान चलाया गया। भ्रष्टाचार के दायरे को न्यूनतम करने तथा कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए प्रबंधन की सहायता करने के अभिप्राय से निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया।

22. भावी परिदृश्य

2003-04 की अंतिम तिमाही में शुद्ध लाभ दर्ज कर हि.कॉ.लि. वर्ष 2004-05 में कंपनी के निर्णायक टर्न अराउन्ड के होने की प्रतीक्षा करता है। जहाँ ताँबे के उच्च लंदन धातु बाजार मूल्य से कंपनी में खनन और अन्य प्रचालनों की समग्र व्यवहार्यता में सुधार हुआ है, वहीं हि.कॉ.लि. वर्ष 2004-05 में खनन उत्पादन उत्कृष्ट बनाने, ऊर्जा और आक्सीजन की लागत कम करने और उच्चतम उत्पादन और वसूली प्राप्त करने के लिए प्रचालन दक्षता उन्नत करने और निविष्टों के विशिष्ट उपभोगों में कमी करने के लिए मजबूती के साथ कदम बढ़ाएगा। ठोस कार्रवाई करने का दूसरा क्षेत्र होगा बातचीत के माध्यम से ब्याज दर में कमी करना और ऋणों में पुनर्भुगतान और पुनर्संरचना के द्वारा ब्याज लागत कम करना। इसी बीच कंपनी ने पुरानी मशीनों और उपकरणों की मरम्मत तथा बदलने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। निधि की कमी के कारण विगत कुछ समय से इस कार्य को अनदेखा कर दिया गया था। खनन उपकरणों को समुन्नत और खनन विकास कार्य को आंशिक हल्का करते हुए मलंजखंड ताम्र परयोजना की खुली खान और खेतड़ी की भूमिगत खान के खान विकास के लंबित कार्यों को भी 2004-05 में खत्म करने का प्रस्ताव है। संक्षेप में 2004-05 में कंपनी का सारा जोर अपनी आंतरिक शक्ति को बेहतर बनाने और लाभप्रदता को बनाए रखने पर होगा।

23. खनन पट्टे की स्थिति

केसीसी स्थित खेतड़ी, कोलिहान और चाँदमारी के खनन पट्टे क्रमशः 22. 2. 2013, 23. 11. 2016 और 26. 12. 2012 तक वैध हैं। मलंजखंड के खनन पट्टे सं. 1 एवं 2 (धातु खानों के लिए) 26. 8. 2013 तक वैध है। मलंजखंड में भूमिगत खनन के विकास के लिए दो और पट्टों (पट्टा सं. 3 और 4) की मंजूरी के लिए हि.कॉ.लि का आवेदन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। भूमिगत खान की विकास योजना सुनिश्चित करने में विलम्ब के कारण आवेदन पत्र लंबित है क्योंकि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदन मंजूरी के लिए यह पूर्वापेक्षित है। आईसीसी के राखा खनन पट्टे के समर्पण के लिए 17.5.2002 को आवेदन झारखंड राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। आईसीसी के मुसाबनी खनन पट्टे की सभी खाने बंद कर दी गयी हैं, अतःसुरदा खान,जिसे वर्कर्स को-आपरेटिव द्वारा चलाया जाना प्रस्तावित हें, को छोड़कर खनन पट्टों का नवीकरण नहीं कराते हुए 15. 6. 2004 को उन्हें समाप्त हो जाने दिया गया। सुरदा खान को वर्कर्स को-आपरेटिव द्वारा चलाए जाने का सरकार का अनुमोदन 28. 5. 2004 को प्राप्त हुआ है, अतः को-आपरेटिव के पक्ष में खनन पट्टे के हस्तानांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

24. निगमित प्रबंध

सेबी के निर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण अपेक्षा के अनुसार निगमित प्रबंधन के संबंध में एक रिपोर्ट निगमित प्रबंध पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ अनुलग्नक-1 में प्रस्तुत है,जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

25. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

i. आपके निदेशक पुष्टि करते हैं 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय उपयुक्त लेखा मानकों को सामग्री संबंधी रवानगी/घट-बढ़ के यथोचित स्पष्टीकरणों के साथ अपनाया गया है।

ii. ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है तथा अपनाया गया है जो युक्तिसंगत एवं दूरदर्शी हैं तथा 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के क्रिया कलापों तथा इसी वर्ष की कंपनी के लाभ-हानि की सही एवं निष्पक्ष राय देती हैं।

iii. कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित रखने वाले तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का निरोध एवं पर्दाफाश करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों की पर्याप्त देख रेख के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कंपनी के चलने योग्य आधार पर तैयार किया था।

26. राष्ट्रपति से निर्देश

वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी ने राष्ट्रपति से कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

27. निदेशक मंडल

कंपनी के पिछले प्रतिवेदन के पश्चात् निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

बोर्ड से अपना पद त्याग देने पर श्री एस. के. कर 25 जुलाई, 2003 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

श्रीमती आदर्श मिश्रा 30. 9. 2003 से हि.कॉ.लि. की अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रही और श्री मधुकर गुप्ता, तात्कालिक अपर सचिव (खान) 30. 9. 2003 से श्रीमती आदर्श मिश्रा के स्थान पर अंशकालिक सरकारी निदेशक बने। 2. 7. 2004 से श्री मधुकर गुप्ता हि.कॉ.लि. के निदेशक नहीं रहे।

श्री बी. के. मेनन 29. 11. 2003 से सेवानिवृत्ति वय प्राप्त करने पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे। श्री राणा सोम, निदेशक (कार्मिक) ने 29. 11. 2003 से कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार संभाल लिया।

सर्वश्री वी. के. चनाना और एस. बी. कुचेरिया अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर 28. 5. 2004 से हि.कॉ.लि. के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नहीं रहे।

श्री आर. के. भार्गव, अपर सचिव (खान) 18. 8. 2004 से हि.कॉ.लि. के अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये।

निदेशक मंडल श्रीमती आदर्श मिश्रा, सर्वश्री मधुकर गुप्ता, वी के चनाना, एस बी कुचेरिया, बी के मेनन और एस के कर द्वारा हि.कॉ.लि. के बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

28. लेखा परीक्षक

मेसर्स दिनेश मेहता एंड कंपनी, नई दिल्ली तथा मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, कोलकाता की वर्ष 2003-2004 में कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई।

केसीसी तथा आईसीसी में क्रमशः गंधकाम्ल के निर्माण संबंधी 2003-2004 के लागत लेखों की लेखा परीक्षा हेतु मेसर्स एच तारा एंड कंपनी, नई दिल्ली तथा श्री शेखर रंजन गुहा, कोलकाता की कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई।

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा धारा 619 के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक कंपनी द्वारा साधारण सभा में या साधारण सभा में जैसा कंपनी संकल्प करे, उस तरह निश्चित किया जाना है। अतः भारत के लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वर्ष 2004-2005 के सांविधिक लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों के विचार हेतु साधारण कार्य व्यापार के तहत एक साधारण संकल्प की बोर्ड ने अनुशंसा की है।

29. लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन का जवाब

इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31.3.2004 को समाप्त वर्ष में कंपनी के लेखों पर लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी तथा अपनी कंपनी के लेखों की ले. नि. एवं म. ले. परीक्षक द्वारा समीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षकों के विचार प्रबंधन के उन पर जवाब सहित संलग्न है।

30. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) की अपेक्षानुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी कर्मचारी ने कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

31. कृतज्ञता ज्ञापन

अंत में आपके निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशक मंडल भारत सरकार के कोयला एवं खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों, कंपनी के बैंकरों, लेखा परीक्षकों, ले. नि. एवं म. ले. प., ग्राहकों तथा विभिन्न परियोजनाओं के मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के पदाधिकारियों से प्राप्त सहायता के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

राणा सोम
कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – I

निगमित प्रबंध पर रिपोर्ट

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार निगमित प्रबंध के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है।

निगमित प्रबंध पर कंपनी का दर्शन

अच्छे निगमित प्रबंध का मतलब अच्छी कारोबार प्रथाएं अपनाना है ताकि कंपनी केवल नियामक रूपरेखा में ही न चले बल्कि आचार नीति से भी मार्गदर्शन प्राप्त करे। ऐसी निगमित प्रथाएं कंपनी के प्रभारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साथ-साथ निवेशकों, ग्राहकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और समाज को भी काफी लाभ पहुँचाती है।

अधिदेशात्मक आवश्यकताएं

1. निदेशक मंडल

(क) बोर्ड का गठन :

रिपोर्ट तिथि को कंपनी के निदेशक मंडल में तीन निदेशक शामिल हैं - निदेशक (कार्मिक) जो कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी हैं और दो सरकारी निदेशक। तीन अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों और तीन पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों यथा नियमित अ.प्र.नि., निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रचालन) के पद रिक्त पड़े हैं। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति तथा सम्यक गठन के विषय को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों का निदेशक पारिश्रमिक प्राप्ति को छोड़कर कंपनी, इसके प्रमोटरों के साथ कोई भौतिक द्रव्य विषयक संबंध या लेन देन नहीं है जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित करे।

बोर्ड सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :-

नाम	निदेशक की श्रेणी	बाहरी निदेशकता की संख्या	बाहरी समिति में धारित उच्च पद की सं.	
			अध्यक्ष	सदस्य
कार्यपालक				
श्री राणा सोम, नि.(का.) एवं कार्यकारी अ.प्र.नि.	कार्यकारी	–	–	–
श्री बी.के.मेनन, अ.प्र.नि. (29.11.03 तक)	कार्यकारी	–	–	–
श्री एस. के. कर, नि. वित्त (23.7.03 तक)	कार्यकारी	–	–	–
गैर कार्यपालक/स्वतंत्र				
श्रीमती आदर्श मिश्रा (30.9.03 तक)	अंशकालिक सरकारी	–	–	–
डॉ. सुतनु बेहुरिया (1.7.03 तक)	अंशकालिक सरकारी	5	–	–
श्री हेम पांडे (1.7.03 से)	अंशकालिक सरकारी	2	–	2
श्री मधुकर गुप्ता (2.7.04 तक)	अंशकालिक सरकारी	–	–	–
श्री आर. के. भार्गव (18.8.04 से)	अंशकालिक सरकारी	–	–	–
श्री वी. के. चनाना (28.5.04 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	8	—	2
श्री एस. बी. कुचेरिया (28.5.04 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	3	2	2

(ख) निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2003-2004 के दौरान बोर्ड की बैठकों में तथा पिछली साधारण सभा में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशकों के नाम	8 बोर्ड बैठकों में से उपस्थिति दर्ज की गई बैठक (कों) की सं.	पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
श्री बी. के. मेनन	6	उपस्थित
श्री एस. के. कर	3	–
श्री राणा सोम	8	उपस्थित
श्रीमती आदर्श मिश्रा	2	–
श्री मधुकर गुप्ता	3	–
डॉ. सुतनु बेहुरिया	1	–
श्री हेम पांडे	6	–
श्री वी. के. चनाना	6	–
श्री एस. बी. कुचेरिया	6	–

वर्ष 2003-2004 के दौरान आठ बोर्ड बैठकें 1.5.2003, 13.6.2003, 23.7.2003, 15.9.2003, 21.10.2003, 10.11.2003, 10.2.2004, 26.3.2004 को हुई तथा बोर्ड के अधिकांश सदस्य उपस्थित हुए। तथापि जो निदेशक पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए, उनकी अनुपस्थिति छुट्टी को मंजूर कर लिया गया।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर दिल्ली में होती हैं। बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है जिसमें रणनीति निर्माण, नीति एवं नियंत्रण, अधिकारों का प्रतिनिधान तथा तिमाही परिणामों का अनुमोदन, वार्षिक प्रचालन योजना तथा बजट, इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा आवश्यक सांविधिक विषयों पर विचार किया जाता है। बैठक की कार्यसूची अ.प्र.नि./कार्यकारी निदेशकों की परामर्श से कंपनी सचिव तैयार करते हैं और बोर्ड कागजात निदेशकों को अग्रिम ही वितरित कर दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की पहुँच सभी सूचनाओं तक होती है और वे कार्यसूची में विचार के लिए किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को बैठक में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया जाता है और जरूरत होने पर वे स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। अंशकालिक निदेशक बोर्ड बैठकों में चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा वित्त, विपणन, विधि, लोक नीति और प्रचालन के क्षेत्र में अपना विस्तृत अनुभव कंपनी के सम्मुख रखते हैं।

कंपनी की 4 (चार) प्रचालनरत इकाइयों खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी), इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी), मलंजखंड ताम्र परियोजना (मताप) तथा तलोजा ताम्र परियोजना (ततप) का नेतृत्व इकाई-प्रधान करते हैं, जो कार्यकारी निदेशकों एवं अ.प्र.नि. की व्यापक देखरेख में काम करते हैं।

(घ) निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) अंशकालिक निदेशकों की सिटिंग फीस

खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक सिटिंग फीस के हकदार नहीं हैं। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक के लिए रु. 800/- की दर से और प्रत्येक समिति बैठक के लिए रु. 400/- की दर से सिटिंग फीस प्रदान की जाती है। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को 1. 4. 2003 से 31. 3. 2004 की अवधि के दौरान प्रदत्त सिटिंग फीस निम्न प्रकार थी :

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	बोर्ड बैठक के लिए (रु.)	समिति बैठक के लिए (रु.)
श्री वी. के. चनाना	4800	800
श्री एस. बी. कुचेरिया	4800	1200

(ii) पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

2003-2004 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार रहा :

निदेशकों का पारिश्रमिक	(लाख रु. में)
वेतन एवं भत्ते	5.21
भविष्य निधि में अंशदान	0.62
चिकित्सा एवं छुट्टी नकदीकरण	1.91
उपदान	1.04
कुल	8.78

2. लेखा परीक्षा समिति

3 अंशकालिक निदेशकों को लेकर बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2004 को समिति के सदस्य थेः श्री एस. बी. कुचेरिया यथा अध्यक्ष और सर्वश्री हेम पांडे और वी. के. चनाना यथा सदस्य। अ.प्र.नि. और प्रधान (वित्त) विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में आते हैं तथा कंपनी सचिव बैठक का संचालन करते हैं। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सूचीबद्धता करार के खंड 49 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हैं। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें 2.5.2003, 23.7.2003 तथा 10.2.2004 को हुई थी और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी :

सदस्य का नाम	लेखा परीक्षा समिति की आयोजित 3 बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री एस. बी. कुचेरिया	3
डॉ. सुतनु बेहुरिया	1
श्री हेम पांडे	2
श्री वी. के. चनाना	2

3. पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति के लिए पारिश्रमिक, नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। अतः कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई है।

4. निवेशक शिकायत समिति

तीन अंशकालिक निदेशकों को समाविष्ट करते हुए बोर्ड ने शेयरधारकों/निदेशकों की शिकायत समिति का गठन किया था। 31 मार्च, 2004 को समिति के सदस्य थेः श्री एस. बी. कुचेरिया अध्यक्ष के रूप में तथा सर्वश्री हेम पांडे एवं वी.के.चनाना सदस्य के रूप में। कंपनी सचिव बैठक का संचालन करते हैं। समिति शेयर अंतरण, तुलन पत्र का न मिलना और डुप्लीकेट शेयरों को जारी करने आदि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जाँच करती है। 31.3.2004 को बकाया शिकायत शून्य थी। वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

5. शेयर अंतरण समिति

कंपनी में सभी कार्यकारी निदेशकों को शामिल कर शेयर/बांड अंतरण समिति नामक बोर्ड की एक उप समिति पहले से ही विद्यमान है। 2003-2004 के दौरान समिति ने 12 (बारह) बार 22. 4. 2003, 22. 5. 2003, 25. 6. 2003, 26. 7. 2003, 26. 8. 2003, 26. 9. 2003, 28. 10. 2003, 27. 11. 2003, 26.12. 2003, 27. 1. 2004, 23. 2. 2004, 29. 3. 2004 को बैठक की तथा शेयरों, बांडों के अंतरण/अग्रेषण तथा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को जारी करने आदि का अनुमोदन किया। सूचीबद्धता करार खण्डों के अनुसार कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। 31.3.2004 को शेयर/बांड अंतरण का कोई मामला लंबित नहीं था।

6. साधारण सभा

विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हुई साधारण सभा के स्थान तथा समय निम्न प्रकार थे :

वर्ष	वार्षिक साधारण सभा			विशेष साधारण सभा		
	तिथि	स्थान	समय	तिथि	स्थान	समय
2001	28.12.2001	कोलकाता	अपराह्न 3.30 बजे	7.6.2001	कोलकाता	अपराह्न 4.00 बजे
2002	27.09.2002	कोलकाता	अपराह्न 3.30 बजे	20.2.2002	कोलकाता	अपराह्न 4.30 बजे
2003	30.09.2003	कोलकाता	अपराह्न 4.00 बजे	–	–	–

विगत वर्ष कोई विशेष संकल्प मतपत्रों द्वारा नहीं रखा गया।

7. प्रकटीकरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई द्रव्यात्मक प्रकृति का लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना रखने में स्वतंत्र हो। कंपनी पर स्टाक एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी विषय में दण्ड, आक्षेप नहीं लगाया गया।

8. संचार माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारियों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय परिणामों के प्रकाशन तथा सभी सांविधिक निकायों में रिपोर्टों एवं रिटर्नों की प्रस्तुती एवं फाइलिंग के माध्यम से संवाद करती है। 2003-2004 के दौरान अलेखापरीक्षित कार्यकारी परिणाम फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) तथा संवाद प्रतिदिन (बंगला समाचार पत्र) में कंपनी द्वारा प्रकाशित कराए गए थे।

9. सामान्य सूचना

i) 37 वीं वार्षिक साधारण सभा

तिथि	:	30.9.2004
समय	:	अपराह्न 4.00 बजे
स्थान	:	ताम्र भवन, 1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019

ii) वित्त वर्ष 2004-2005 (अनन्तिम)

तिमाही परिणाम

30 जून, 2004 का	:	जुलाई, 2004 का 4 था सप्ताह
30 सितम्बर, 2004 का	:	अक्तूबर, 2004 का 4 था सप्ताह
31 दिसम्बर, 2004 का	:	जनवरी, 2005 का 4 था सप्ताह
31 मार्च, 2005 का	:	अप्रैल, 2005 का 4 था सप्ताह

iii) बही-बन्दी तिथि : 24.9.2004 से 29.9.2004 (दोनों तिथियों के साथ)

iv) स्टॉक कोड के साथ शेयर बाजारों में ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण :

कोलकाता	–	18067
मुम्बई	–	13699
दिल्ली	–	6917
चेन्नई	–	हिन्दकॉपर
अहमदाबाद	–	24709 / हिन्दुस्ताकॉ

उपरोक्त सभी स्टॉक एक्सचेंजों को 2004-2005 का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

v) शेयर बाजार मूल्य आँकड़े : वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) में कारोबार हुए शेयरों का मासिक उच्च और निम्न भाव:

मास	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)
अप्रैल, 2003	26.45	26.00
मई, 2003	35.90	27.50
जून, 2003	38.00	32.50
जुलाई, 2003	48.05	34.90
अगस्त, 2003	41.00	36.46
सितम्बर, 2003	40.00	33.00
अक्तूबर, 2003	44.86	30.00
नवम्बर, 2003	40.40	33.00
दिसम्बर, 2003	42.50	39.00
जनवरी, 2004	70.00	45.11
फरवरी, 2004	47.40	44.15
मार्च, 2004	43.71	35.00

vi) शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन:

कंपनी के शेयर इलेक्ट्रानिक विधि में अनिवार्य रूप से कारोबार योग्य है और राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लि. (एनएसडीएल) और केन्द्रीय भंडार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों भंडार में कारोबार के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति शिनाख्त संख्या (आईएसआईएन) कंपनी के ईक्विटी शेयर के लिए 11.9.02 से आई एन ई 531 ई 01018 आबंटित की गई है। 31.3.04 को डिमैटिरियलाइजेशन की स्थिति इस प्रकार थी।

विवरण	शेयरों की सं.	धारिता का %	फोलियों सं.
डिमैट :			
क) एन एस डी एल	33,33,400	0.919	664
ख) सी डी एस एल	–	–	–
भौतिक :			
क) भारत सरकार	35,90,78,800	98.953	1
ख) अन्य	4, 65,800	0.128	1892
कुल :	36,28,78,000	100.000	2557

vii) 31 मार्च, 2004 को शेयरधारिता प्रतिमान :

	श्रेणी	धारित शेयरों की सं.	%
1.	भारत के राष्ट्रपति	35,90,79,500	98.953
2.	म्युचुअल फंड	9,70,400	00.267
3.	वित्तीय संस्थान	18,94,600	00.522
4.	निजी निगमित निकाय	1,93,617	00.0534
5.	कर्मचारियों सहित भारतीय जनता	7,39,883	1.3046
	कुल :	36,28,78,000	100.00

viii) 31 मार्च, 2004 को शेयरधारिता का वितरण:

विस्तृति		शेयर	फोलियो	% शेयर
1	500	436417	2357	0.1203
501	1000	78000	93	0.0215
1001	2000	77700	51	0.0214
2001	3000	37300	15	0.0103
3001	4000	17883	5	0.0049
4001	5000	42200	9	0.0116
5001	10000	55900	8	0.0154
10001	50000	189100	10	0.0521
50001	100000	54300	1	0.0150
100001	एवं अधिक	361889200	8	99.7275
कुल		362878000	2557	100.0000

ix) शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर अंतरण के आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है तथा शेयर बाजारों के निर्दिष्ट सूचीकरण मानकों के तहत आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिए जाते हैं।

x) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता

कंपनी का ताम्र भवन, 1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता में अपने निगमित एवं पंजीकृत कार्यालय में पूर्ण विकसित शेयर कक्ष है। तथापि डिमैट से संबंधित सभी शेयरों के मामलों और कंप्यूटर में सारे रिकार्ड की देखभाल पर ध्यान देने के लिए कंपनी ने मेसर्स एमसीएस लि., 77/2 ए हाजरा रोड, कोलकाता - 700 029 को नियुक्त किया है।

xi) संयंत्र स्थान

इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
पो. आ. घाटशिला
जिला - सिंहभूम
झारखंड

खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स
पो. आ. खेतड़ीनगर
जिला - झुन्झुनू
राजस्थान

मलंजखंड ताम्र परियोजना
पो. आ. मलंजखंड
जिला - बालाघाट
मध्य प्रदेश

तलोजा ताम्र परियोजना
पो. आ. तलोजा
जिला - रायगढ़
महाराष्ट्र

xii) पत्राचार का पता

शेयरधारक अपेक्षित सूचना के लिए कंपनी सचिव, हि. कॉ. लि. निगमित कार्यालय, 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता - 700 019 को लिखें या अपनी जिज्ञासा हिन्दकॉप@बीएसएनएल.काम में ई-मेल करें।

अनधिदेशात्मक आवश्यकताएं

(क) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समेत कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा उनकी नियुक्ति की शर्तों के तहत ही उन्हें पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अतः कंपनी ने निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति निर्धारण के लिए कोई पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई है।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी के एक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक हैं। उन्हें वही सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत हैं।

(ग) वित्तीय कार्य-निष्पादन की तिमाही घोषणा तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से शेयरधारकों को अवगत करा दिया जाता है।

निगमित प्रबंध पर अनुपालन प्रमाण पत्र

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
कोलकाता के सदस्यों

31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा शेयर बाजार (रों) के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के खंड 49 में अनुबंधित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा निगमित प्रबंध की शर्तों के अनुपालन की हमने जाँच की है।

निगमित प्रबंध की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच कंपनी द्वारा निगमित प्रबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। कंपनी के वित्तीय विवरण पर यह न तो लेखा परीक्षा है न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित सूचीबद्धता करार में अनुबंधित निगमित प्रबंध की शर्तों का अनुपालन किया हैं।

हमारी राय में तथा अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद् प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित सूचीबद्धता करार में अनुबंधित निगमित प्रबंध की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम बयान करते हैं कि शेयर धारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी के विरूद्ध एक माह से अधिक समय तक लंबित कोई निवेशक शिकायत नहीं है।

हम और भी बयान करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता के रूप में कोई आश्वासन है न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के कार्यों के संबंध में दक्षता या प्रभावशालिता है।

कृते तथा की ओर से

दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

हिरेन मेहता
साझेदार

एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम. आर. जैन
साझेदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ : सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 26 अगस्त, 2004 की रिपोर्ट) तथा कंपनी का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी सं.	विषय	कंपनी का स्पष्टीकरण
4(घ)(1)	समय बहाव के लिए स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास संबंधी लेखा प्राचल सं. 6 को प्राथमिकता।	यह लेखा नीतियाँ सं. 4.1 के और लेखा की टिप्पणी सं. 7 में स्पष्ट किए अनुसार है।
4(घ)(2)	दो इकाइयों को छोड़कर पूँजीकृत अतिरिक्त पुर्जे/बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों की प्रकृति के मशीनी अतिरिक्त पुर्जों की शिनाख्त नहीं की गयी है।	लेखा की टिप्पणी सं. 21 में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5(2)	खानों एवं संयंत्रों में लागू विद्युत शुल्क की दरों के अन्तर के अप्रभारित रु. 61420 हजार।	लेखा की टिप्पणी सं. 9 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5(3)	लघु उद्योगों के समय पश्चात भुगतान पर ब्याज का प्रावधान नहीं होना।	लेखा की टिप्पणी सं. 6 में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।
5(4)	बकाया ईंधन सरचार्ज पर ब्याज देयता का प्रावधान नहीं होना।	लेखा की टिप्पणी सं. 10 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5(7)	बेकार स्थायी आस्तियों के लिए बनाए गए प्रावधानों की पर्याप्तता या अन्य।	लेखा की टिप्पणी सं. 12 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 सितम्बर, 2004

राणा सोम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ : सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 23.08.2004 की रिपोर्ट) तथा कंपनी का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी सं.	विषय	कंपनी का स्पष्टीकरण
4.	एक इकाई को छोड़कर प्रबंधन द्वारा भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन की अपनायी गयी प्रक्रिया यथोचित और पर्याप्त है।	लेखा-परीक्षकों के विचारों को नोट कर लिया गया है और इसे और सुधारा जाएगा।
5.	प्रत्यक्ष सत्यापन में ध्यान में आई विसंगतियों का बही खातों में उचित मेलजोल कर लिया गया है। हालाँकि विसंगतियों को समायोजित नहीं किया गया है और भंडार में दिखाया जाना जारी है। तथापि लेखों में उनके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं।	यद्यपि विसंगतियों की खोज के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन चालू वर्ष में इसे पूरी तरह से सम्पन्न नहीं किया जा सका।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 सितम्बर, 2004

राणा सोम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के लेखों पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

मुझे यह कहना है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संबंध में भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कोई टिप्पणी या परिशिष्टि नहीं करनी है।

एस. बी. पिल्लय
वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखा-परीक्षा परिषद-1 कोलकाता
के पदेन सदस्य

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 सितम्बर, 2004

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

(लेखों की समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) की टिप्पणियों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित गुण-दोषों पर विचार किये बिना तैयार की गयी है।)

1. वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित तालिका पिछले तीन लेखा अवधियों की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में मुख्य-मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाती है :

(करोड़ रु.)

	2001-2002	2002-03	2003-04
देयताएँ			
क) प्रदत्त पूँजी			
i) भारत सरकार (शेयर जमा सहित)	706.31	791.31	**905.15**
ii) अन्य	3.80	3.80	**3.80**
ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष			
i) मुक्त प्रारक्षित एवं अधिशेष	0.41	0.37	**0.34**
ii) पूँजीगत प्रारक्षित निधि	6.53	6.54	**7.10**
ग) ऋणादान :			
i) भारत सरकार से	—	—	**—**
ii) बॉंड	225.10	216.32	**188.12**
iii) डिबेंचर	100.00	100.00	**87.50**
iv) सार्वजनिक जमा	0.01	0.01	**0.01**
v) कार्यकारी पूँजीगत मियादी ऋण	—	—	**—**
vi) बैंक से नकद ऋण	122.04	139.48	**76.11**
vii) अन्य ऋण	51.32	40.30	**86.74**
viii) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	0.56	0.32	**0.33**
घ) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	349.30	386.13	**256.18**
कुल :	1565.38	1684.58	**1611.38**
आस्तियाँ			
ङ) कुल खंड	697.79	692.60	**694.75**
च) घटाएँ : संचित मूल्यह्रास	456.00	462.76	**478.45**
छ) शुद्ध खंड	241.79	229.84	**216.30**
ज) पूँजीगत चालू कार्य	23.56	21.01	**19.09**
झ) खान विकास व्यय	303.42	293.49	**281.26**
ञ) विविध व्यय (जिन्हें बट्टे खाते नहीं डाला गया)	7.41	—	**3.37**
ट) निवेश	—	—	**—**
ठ) चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	356.80	360.18	**255.17**
ड) संचित हानियाँ	632.40	780.06	**836.19**
कुल :	1565.38	1684.58	**1611.38**
ढ) कार्यकारी पूँजी {ठ-घ-ग(8)}	6.94	(-)26.27	**(-)1.34**
ण) नियोजित पूँजी (छ+ढ)	248.73	203.57	**214.95**
त) शुद्ध मूल्य {(क+ख(1)-ड-ञ}	70.71	15.42	**69.73**
थ) अभिदत्त पूँजी का प्रति रुपए शुद्ध मूल्य (रुपए में)	0.10	0.02	**0.08**

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

(लेखों की समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) की टिप्पणियों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित गुण-दोषों पर विचार किये बिना तैयार की गयी है।)

(करोड़ रुपए में)

2. कार्य परिणाम

1)	बिक्री	604.98	506.11	**499.80**
2)	घटाएँ : उत्पादन शुल्क	77.92	71.27	**66.80**
3)	शुद्ध बिक्री	527.06	434.84	**433.00**
4)	अन्य विविध आय	25.60	10.06	**25.60**
5)	कर पूर्व लाभ/हानि एवं पूर्व अवधि का समायोजन	(-) 181.83	(-)146.38	**(-)56.74**
6)	पूर्व अवधि का समायोजन	2.21	1.32	**.58**
7)	कर पूर्व लाभ/हानि	(-)184.04	(-)147.70	**(-)56.16**
8)	कर हेतु प्रावधान	शून्य	शून्य	**शून्य**
9)	करोत्तर लाभ	(-)184.84	(-)147.70	**(-)56.16**

3. अनुपात विश्लेषण

विगत तीन वर्षों के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं :

(प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04
क. नकद अनुपात			
चालू अनुपात	102	93	99.48
ख. ऋण ईक्विटी अनुपात			
ईक्विटी पर दीर्घकालिक ऋण	460	2051	453.30

4. निधियों के स्रोत और उपयोग

कंपनी ने अवधि के दौरान आंतरिक और बाहरी स्रोतों से निम्नलिखित रूप में 114.40 करोड़ रु. की निधि एकत्र की और निम्न प्रकार उसका उपयोग किया :

(करोड़ रुपए में)

निधि के स्रोत :			
क) शेयर पूँजी में वृद्धि			113.84
ख) प्रारक्षित पूँजी में वृद्धि			0.56
वर्ष के दौरान आगत कुल राशि			114.40
निधियों का उपयोग :			
क) करोपरांत हानि		56.16	
घटाएँ : मूल्यह्रास		15.69	
घटाएँ : बट्टे खाते डाले गए खान विकास व्यय		12.23	28.24
ख) कार्यकारी पूँजी में वृद्धि			24.93
ग) कुल खंड एवं पूँजीगत चालू कार्य में वृद्धि			0.23
घ) उधार राशि में कमी			57.63
ड) विविध व्यय में वृद्धि			3.37
वर्ष के दौरान निर्गत कुल राशि			114.40

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लेखों की समीक्षा

5. इकाईवार कार्य परिणाम

कंपनी तथा इसकी विविध इकाइयों के गत 3 लेखा वर्षों के कार्य परिणाम नीचे दर्शाए जा रहे हैं :

(करोड़ रु.)

इकाई	वर्ष के लिए लाभ (+) हानि (-)	पूर्व वर्षों के अनपेक्षित हो गये प्रावधानों की वापसी	पूर्व अवधि का समायोजन एवं असामान्य मद	विकास छूट आरक्षित निधि का पुनरांकन/ आयकर हेतु प्रावधान	लेखा के अनुसार लाभ (+) हानि (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समेकित स्थिति					
2001-02	(–) 203.95	(+) 17.70	(+) 2.21	–	(–) 184.04
2002-03	(–) 149.60	(+) 0.58	(+) 1.32	–	(–) 147.70
2003-04	(–) 56.16	(+) 0.47	(+) 0.58	–	(–) 55.10
इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स					
2001-02	(–) 65.11	(+) 1.37	(+) 0.41	–	(–) 63.33
2002-03	(–) 72.32	(+) 0.04	(+) 0.59	–	(–) 71.69
2003-04	(–) 56.57	(+) 0.04	(+) 0.22	–	(–) 56.32
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स					
2001-02	(–) 97.87	(+) 0.22	(+) 0.08	–	(–) 97.57
2002-03	(–) 86.74	(+) 0.38	(+) 0.08	–	(–) 86.28
2003-04	(–) 32.59	(+) 0.17	(+) 0.05	–	(–) 32.36
मलंजखंड ताम्र परियोजना					
2001-02	(–) 1.22	(+) 1.71	(+) 0.04	–	(+) 0.53
2002-03	(+) 17.50	(+) 0.01	(+) 0.07	–	(+) 17.58
2003-04	(+) 42.09	(+) 0.02	(+) 0.23	–	(+) 42.35
तलोजा ताम्र परियोजना					
2001-02	(–) 13.93	(+) 0.01	(+) 1.67	–	(–) 12.25
2002-03	(–) 4.22	–	(+) 0.06	–	(–) 4.16
2003-04	(–) 1.63	–	(+) 0.03	–	(–) 1.59
राखा ताम्र परियोजना					
2001-02	(–) 21.32	(+) 0.14	–	–	(–) 21.18
2002-03	(–) 2.23	(+) 0.02	(+) 0.48	–	(–) 1.73
2003-04	(–) 0.87	(+) 0.03	(+) 0.48	–	(–) 0.84

6. मालसूची स्तर

गत तीन लेखा वर्षों के अंत का मालसूची स्तर नीचे दिखाया जा रहा है :

(करोड़ रु.)

	2001-02	2002-03	2003-04
1) कच्चा माल	8.41	6.94	0.63
2) भंडार वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे और फुटकर औजार	47.47	42.37	35.25
3) चालू कार्य	121.82	101.61	90.91
4) तैयार माल	24.59	29.83	43.17

7. विविध देनदार

गत तीन लेखा वर्षों के विविध देनदारों तथा बिक्री का विवरण नीचे दर्शाया जा रहा है :

(करोड़ रु.)

तारीख	विविध देनदार		कुल	वर्ष के दौरान बिक्री	बिक्री में कुल विविध देनदार का प्रतिशत
	शोध्य समझा गया	संदिग्ध समझा गया			
31.03.2002	20.95	3.34	24.29	604.98	4%
31.09.2003	6.18	4.14	10.32	506.11	2%
31.03.2004	18.08	4.02	22.10	503.28	4.39%

एस. बी. पिल्लय
वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखा-परीक्षा परिषद-1 कोलकाता के पदेन सदस्य

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 सितम्बर, 2004

दस वर्षों पर एक दृष्टि

(लाख रु.)

वर्ष के लिए	2003-04	2002-03	2001-02	1999-01 (18 महीने)	1998-99	1997-98 (18 महीने)	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
कारोबार	49928	50,568	60,498	94,558	47,949	120,348	98,024	111,802	93,295	67,238
लाभ/(हानि)	289	(8,999)	(12,592)	(10,625)	(11,276)	(1,725)	(7,677)	13,099	12,450	(1,762)
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	5905	5,771	5,812	9,019	5,925	8,848	5,384	5,515	5,224	5,193
शुद्ध लाभ/(हानि)	(5616)	(14,770)	(18,404)	(19,644)	(17,201)	(10,573)	(13,062)	7,584	7,226	(6,955)
वर्द्धित मूल्य	20942	14,737	15,309	33,591	16,724	28,946	21,937	41,359	42,216	25,161
उत्पादन का मूल्य	51484	50,153	58,666	100,166	51,347	118,022	100,529	118,627	90,504	59,609
वर्ष के अंत में										
शेयर पूँजी	90895	79,511	71,011	54,361	53,661	52,511	33,820	33,820	33,020	30,520
आंतरिक स्रोत	(35030)	(31,039)	(16,945)	(49)	19,097	33,896	42,018	53,305	43,880	34,399
दीर्घ-कालिक ऋण	27562	29,182	29,182	64,332	37,236	11,527	17,456	17,456	16,656	16,656
बैंकों से नकद ऋण	7611	13,949	12,204	12,270	8,416	11,960	12,322	10,709	320	9,011
पूँजीगत व्यय कुल	99431	100,559	102,477	106,076	106,621	105,082	101,630	97,772	90,479	85,113
कार्यकारी पूँजी	(102)	(2,595)	751	1,798	649	8,635	14,440	24,529	11,344	7,329
नियोजित पूँजी	21528	20,389	24,929	28,306	29,871	40,368	45,978	57,081	38,829	35,252
जनशक्ति (सं.)	5995	7,865	9,502	12,043	15,271	18,234	19,884	20,108	20,513	21,520

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सदस्यों के प्रति **लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**

1. हमने मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के 31 मार्च, 2004 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखों का परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करना है।

2. भारत में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा करने के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गयी है जिसके लिए ऐसी लेखा परीक्षा की योजना तथा कार्य-निष्पादन के साथ-साथ राशि समर्थक साक्ष्यों, व्यवहृत लेखा सिद्धान्तों के निर्धारण सहित वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा पर्याप्त अनुमानों के साथ-साथ सकल वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन की जाँच आधार परीक्षा अपेक्षित है, ताकि सामग्री के कोई गलत विवरण से वित्तीय विवरण मुक्त है, का उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए। हमें भरोसा है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।

3. हम कंपनी अधिनियम, 1959 की धारा 227(4क) के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003 के अपेक्षानुसार तथा हमारी दृष्टि से उचित समझी गयी जाँचों के आधार पर उसके अनुच्छेद 4 में उल्लिखित विषयों पर विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत कर रहे हैं।

4. उपरोक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त एवं निम्नलिखित अनुच्छेद 5 में कथित के अधीन हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   क. हमें वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में, जहाँ तक बही खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि अपेक्षित लेखा संबंधी ठीक बही रखी है।

   ग. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा बहियों से मेल खाता है।

   घ. हमारी राय में लाभ-हानि लेखा तथा तुलन पत्र निम्नलिखित के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा 3 (ग) में प्रस्तुत लेखा प्राचलों के अनुरूप है।

      i. समय बहाव के कारण स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास संबंधी लेखा नीति सं. 4.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्राचल 6 (ले. प्र. - 6) मूल्यह्रास अभिकलन का वरीयता से अनुकरण करती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (देखें : सारणी 25 की टिप्पणी सं. 7) पर प्रभारित मूल्यह्रास भी परियोजना की अवधि निर्धारित न होने के कारण उपरोक्त लेखा प्राचल के अनुरूप नहीं है। इसलिए ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास की प्रमात्रा का पता नहीं है तथापि 31 मार्च,2004 तक रु.33273 हजार का प्रावधान किया गया है।

      ii. तलोजा और खेतड़ी को छोड़कर पूँजीकृत अतिरिक्त पुर्जे/बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों की प्रकृति के मशीनी अतिरिक्त पुर्जों की शिनाख्त नहीं की गई है। इन इकाईयों में भी जहाँ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित ऐसी शिनाख्त की गई है, स्थायी आस्तियों की शेष आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया गया है। शेष इकाईयों में ऐसे अतिरिक्त पुर्जों की गैर शिनाख्त तथा लेखा व उपरोक्त कथित इकाईयों में ऐसे अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास प्रभार भा. स. ले. सं. द्वारा जारी प्राचल के अनुसार नहीं है। अतिरिक्त पुर्जों की प्रमात्रा और ऐसी शेष इकाईयों में उनके लिए अपेक्षित मूल्यह्रास ज्ञात नहीं है।

ङ. हम प्रतिवेदित करते हैं कि निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन तथा निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में दर्ज सूचना के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के तहत निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य नहीं पाया गया।

5. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 एवं 4 में हमारी टिप्पणियों/अर्हताओं के अतिरिक्त हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

i. *वित्तीय विवरण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित आंतरिक अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। चूँकि यह तकनीकी विषय है, अतः हमें उन पर निर्भर करना पड़ा है।*

ii. *कानूनी राय में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन के आधार पर कंपनी ने खानों और संयंत्रों में लागू विद्युत शुल्क दरों के अंतर के रु. 61420 हजार प्रभारित नहीं किए हैं। चूँकि यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है, और नए सिरे से निपटान के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय के यहाँ मामले को भेजा गया हैं इसलिए हम प्रबंधन द्वारा लिए गए आधार की सत्यता के बारे में अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं। (देखें : लेखा पर टिप्पणियों की सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 9)*

iii. *लघु उद्योगों, इकाईयों के समय पश्चात् भुगतान पर ब्याज की राशि जो निश्चित नहीं है, का प्रावधान न होना। (देखें : लेखा पर टिप्पणियों की सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 10)*

iv. *बकाया ईंधन सरचार्ज पर ब्याज की देयता जिसकी राशि निश्चित नहीं है, का प्रावधान न होना । (देखें : लेखा पर टिप्पणियों की सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 10)*

v. *चालू देयताओं, अग्रिमों, जमाओं, विभिन्न देनदारों, वसूली योग्य दावों, मार्गस्थ सामग्री और तीसरी पार्टी के पास पड़े स्टाक के अंतर्गत भारी राशि शामिल है जो समाधान तथा शेष पुष्टि के अध्यधीन है। आगे, सांविधिक बकायों से संबंधित कुछ अन्य देयताओं को आकस्मिक देयताओं में शामिल किया गया है तथा लेखों में प्रविष्ट नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी की हानि पर ऐसी देयताओं और आस्तियों का समायोजन/प्रवेशिता का प्रभाव, यदि कोई है, निश्चित नहीं है। (देखें : लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 5)*

vi. *कंपनी ने 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 561598 हजार का शुद्ध घाटा उठाया है और उस तिथि को इसकी कुल चालू देयताएँ (रु. 3322978 हजार) इसकी कुल चालू आस्तियाँ (रु. 2559519 हजार) से रु. 763459 हजार ज्यादा है तथा अन्य विषयों जैसे प्रतिकूल अत्यावश्यक वित्तीय अनुपात, तय तिथि पर अल्प तथा दीर्घकालिक देयताओं को खत्म करने में असमर्थता जैसे कुछ कारकों की मौजूदगी कंपनी द्वारा अपनायी गयी चलने योग्य व्यावसायिक संस्था की अवधारणा को प्रभावित कर रही है। हालाँकि आर्थिक अव्यावहारिक इकाइयों की बंदी/बंदी की प्रक्रिया में शामिल, वर्ष के दौरान अपने उत्पादों के बेहतर लाभकारी मूल्यों के कारण और भारत सरकार द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय समर्थन के जारी रहने के कारण भी कंपनी अपने बेहतर वित्तीय परिणाम प्रदर्शित कर रही है और इसलिए हमारी राय में पूर्वानुमानीय भविष्य में चलने योग्य व्यापारिक संस्था बनी रह सकती है।*

vii. *बेकार स्थायी आस्तियों के प्रावधान की पर्याप्तता या अन्यथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि इन आस्तियों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अभी अभिनिश्चित किया जाना बाकी है। (लेखा पर टिप्पणियों की सारणी 25 की टिप्पणी सं. 12)*

viii. *डीलरों/ग्राहकों को दी गयी छूट/बट्टे को तुल्य व्यय के रूप में नहीं दिखाया गया है लेकिन सकल कारोबार में से घटा दिया गया है।*

इसलिए कारोबार के साथ-साथ व्यय के दोनों आँकड़ों को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया है। संख्या अभिनिश्चित नहीं है लेकिन कंपनी की हानि पर इसका प्रभाव नहीं भी हो सकता है।

ix. *समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईसीसी, घाटशिला की भंडार-वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। विसंगतियों जैसे कमी, अधिकता, विन कार्ड और पीएसएल शेष का अंतर और मालसूची की कई मदों के विरूद्ध, ऋणात्मक शेषों का अन्तिम समायोजन लंबित रहने के कारण भंडार वस्तुओं अतिरिक्त पुर्जों के 'उपभोग' के साथ-साथ "शेष माल" पर इसका प्रभाव अभिनिश्चत नहीं है।*

x. *एमसीपी के गोंडिया स्टाक यार्ड में सांद्र के वजन के अंतर पर उत्पादन शुल्क की* रु. 40598 हजार की राशि वर्ष के दौरान प्रभारित की गई है जिसके रु. 32408 हजार पूर्व वर्ष से संबंधित हैं। (देखें: लेखा पर टिप्पणियाँ की सारणी सं. 25 की टीप्पणी सं. 23)

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 (घ) (i) (व) 4 (घ) (II) एवं 5 (i) से 5 (ix) में कथित के अध्यधीन हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे तथा उनके साथ पढ़ी जाने वाली टिप्पणियाँ :

(i) 31 मार्च, 2004 को कंपनी के कारोबार की स्थिति के तुलन पत्र के बारे में तथा

(ii) इस दिनांक को समाप्त वर्ष की कंपनी की हानि के लाभ एवं हानि लेखा के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी देते हैं।

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
हिरेन मेहता
साझेदार

कृते एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एम. आर. जैन
साझेदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

(हमारे समतिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद - 3 में उल्लिखित)

1. (क) कंपनी के पास स्थायी आस्तियों के परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिति को दर्शाने वाले पर्याप्त अभिलेख हैं।

   (ख) चालू वर्ष के दौरान प्रबंधन ने लेखा नीति सं. 4.3 के अनुसार जिसे विभिन्न खानों और उत्पादन सुविधाओं के बंद होने के फलस्वरूप संशोधित किया जाना है, अपनी स्थायी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। ऐसी आस्तियों की प्रत्यक्ष उपलब्धता तथा बही अभिलेखों के बीच सामग्री विसंगतियाँ, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में निश्चित नहीं की जा सकती हैं।

   (ग) हालाँकि कुछ खानों सहित राखा तथा मुसाबनी सांद्रकों में खनन गतिविधियों का परित्याग कर दिया है, लेकिन वर्ष के दौरान कंपनी ने संयंत्रों और मशीनों के अधिकांश भाग का निपटान नहीं किया है। परन्तु हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में इससे कंपनी की चलने योग्य संस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

2. (क) अवधि के दौरान प्रबंधक वर्ग द्वारा आईसीसी और राखा के भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन वास्तविक/सर्वेक्षण माप के आधार पर तथा कुछ मामलों में अनुमान के आधार पर उचित अंतराल पर किया गया है। तथापि प्रबंधक द्वारा कार्यान्वित ऐसी सत्यापन प्रणाली को मजबूत करना और इसकी बारम्बारता और कार्यक्षेत्र की विस्तृत करना जरूरी है।

   (ख) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए प्रबंधक वर्ग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला को छोड़कर कंपनी के आकार एवं कारोबार की प्रकृति के संबंध में यथोचित एवं पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी मालसूची का उचित अभिलेख रख रही है। बही अभिलेखों से तुलना पर स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन में अवलोकित विसंगतियों का लेखा बही में उचित मेल-जोल कर लिया गया है। कुछ मामलों में विगत वर्षों में पाई गई विसंगतियों को समायोजित न करते हुए स्टाक में दिखाया जाना जारी है यद्यपि उनके लिए लेखों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूची-बद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को न तो कोई ऋण मंजूर किया है और न ही कोई ऋण लिया है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्रथम दृष्टि में कंपनी के हित में हानिकर होने वाली ब्याज दर सहित नियमों और शर्तों का प्रश्न नहीं उठता है।

4. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मालसूची खरीद, उच्च लागत अनुबंधों सहित स्थायी आस्तियों, परिवहन अनुबंधों और माल की बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को और भी सुधारने की आवश्यकता है।

5. (क) हमे दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने योग्य कोई लेनदेन नहीं है।

   (ख) हमारी राय में और हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टरों में प्रविष्ट अनुबंधों या व्यवस्था के अनुसरण में किसी पार्टी के साथ कंपनी ने रु. 5 लाख मूल्य से अधिक के अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

6. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क के प्रावधानों के तहत बनाये गये कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 3 (2) (ii) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी निर्देशों के तहत उल्लिखित निर्धारित सीमा तक जमा कर रखी थी। हालाँकि कंपनी पुनर्भुगतान करने में चूक गयी है। (देखें : लेखा पर टिप्पणियों की सारणी 25 की टिप्पणी सं. 22)।

7. कंपनी में बाहरी एजेंसियों द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की प्रणाली है, जिसे ज्यादा अर्थवान बनाने के लिए और व्यापक बनाया जाए।

8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप धारा (I) के खंड (घ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मालों के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है और हमारी राय में प्रथम दृष्ट्या निर्धारित अभिलेख और लेखे रखे गए हैं। हालाँकि हमने ऐसे लेखों और अभिलेखों की विस्तृत परीक्षा नहीं की है।

9. (क) कंपनी के उपयुक्त अधिकारियों के पास भविष्य निधि बकाया तथा उन पर ब्याज को नियमित रूप से जमा नहीं कराया था। भविष्य निधि पर अविवादित ब्याज की रु. 68459 हजार की राशि अपनी देय तिथि से 6 मास से अधिक अवधि तक बकाया थी। (नीचे दिए विवरणानुसार)

विवरण	अवधि	राशि (हजारों में)
भविष्य निधि का ब्याज	अगस्त, 1998 से सितम्बर, 2003	68459

हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और उपकर की देय अविवादित सकल रु. 51120 हजार की राशि 31 मार्च, 2004 को अपनी देय तिथि से 6 मास की अवधि से अधिक बकाया थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पति कर, उत्पादन शुल्क और उपकर की बकाया रु. 1085874 हजार की शुद्ध प्रतिभूत की गयी धनराशि को विविध मंचों पर लंबित विवादों के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

10. हमारी राय में, कंपनी की संचित हानियाँ इसके शुद्ध मूल्य से पचास प्रतिशत से अधिक हैं। हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ, हालाँकि निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रु. 825781 हजार का नकद घाटा हुआ था।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी बैंकों के बकायों की चुकौती में दोषी नहीं हुई है लेकिन डिबेन्चरों के शोधन में चूक हुई थी, जिसे वर्षान्त में नियमित कर दिया गया है। पब्लिक बांड के संबंध में उन पर हुए ब्याज सहित वर्षान्त में चूक राशि असुरक्षित रु. 238245 हजार और सुरक्षित रु. 295300 हजार है।

12. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सुरक्षा के आधार पर ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

13. हमारी राय में कंपनी कोई चिट फंड या "निधि" पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14. हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निर्देशों में कोई लेन देन नहीं कर रही है।

15. हंमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों पर कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के अंत में बकाया सावधि ऋणों को उठाकर हमारी लेखा-परीक्षा के पूर्व ही उनका उपयोग कर लिया गया है। इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि उनका उपयोग उसी उद्देश्य में किया गया है जिसके लिए वे उठाए गए हैं।

17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र परीक्षा पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर उठायी गयी किसी राशि का प्रयोग दीर्घावधि किस्तों के लिए या इसके विपरीत नहीं किया गया है।

18. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टरों में शामिल पार्टियों और कंपनियों को कंपनी ने शेयरों का प्रिफरेंसियल अलाटमेंट नहीं किया है।

19. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है लेकिन मुम्बई के फ्लैट, केसीसी, एमसीपी और टीसीपी की वर्तमान और संभावित चल एवं अचल आस्तियों पर प्रथम अधिभार और भारत सरकार (भा.स.) की प्रति गारंटी पर जारी डिबेंचरों के संबंध में बंधक के रूप में बनायी गई प्रतिभूति के रु. 875000 हजार के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को कंपनी ने प्रतिदेय नहीं किया है।

20. हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धन नहीं उठाया है जिसके प्रयोग के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में चर्चा की जानी है और हमारे द्वारा सत्यापित किया जाना है।

21. हमारी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान और हमारी परीक्षण जाँच के आधार पर हमारे सामने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी से या द्वारा सूचित या प्रतिवेदित जालसाजी का कोई मामला नहीं आया है।

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
हिरेन मेहता
साझेदार

कृते एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एम. आर. जैन
साझेदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

छः मास से अधिक अविवादित देयताएँ

(हजार रु.)

विवरण	कुल
सीमा शुल्क	15673
बिक्री कर (राज्य एवं केन्द्र)	1286
रायल्टी एवं उपकर	3587
वन भूमि	2124
विद्युत शुल्क	18251
उत्पादन शुल्क	616
सम्पत्ति कर 1997-98	7282
चूँगी	541
विविध	1744
आयकर-टीडीएस	16
कुल	**51120**

विवादित संवैधानिक देयताओं का विवरण

(हजार रु.)

क्रम सं	विवरण	वर्ष	मंच जहाँ मामला लंबित है	राशि (रु.)
1.	उत्पादन शुल्क	1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03	सीगेट	86947
		1994-95, 1995-96, 1998-99, 1999-2000, 2001-02, 2002-03, 2003-04	उत्पादन शुल्क (अपील) आयुक्त	671374
2.	बिक्री कर	1974-75, 1976-80, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01	आयुक्त (अपील)	309919
		1991-92, 1992-93, 1993-94 1985-86	न्यायाधिकरण	7073
3.	विद्युत शुल्क	1981-82, 1982-83	वाणिज्य कर आयुक्त	6222
4.	रायल्टी	1997-98, 1999-2000, 2000-01 2001-02, 2003-04	जिला खनन अधिकारी	4339
	कुल			**1085874**

लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय लेखे अन्यथा कथित न होने तक भारत में निर्धारित लेखा प्रथाओं, कार्य प्रणालियों और मानकों के अनुसार वस्तुपरक रूप में तैयार किये जाते हैं।

2. कंपनी की सभी इकाइयों के लेखे अलग-अलग तैयार किये जाते हैं तथा उन्हें निगमित स्तर पर समेकित किया जाता है।

3. निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय विवरण कंपनी की आंतरिक तकनीकों के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   – राजस्व एवं पूँजी के मध्य सर्विस शैफ्ट के खर्चों एवं भूमिगत खनन व्यय का विनिधान

   – कच्चे माल, निर्माणाधीन एवं तैयार माल में धातु तत्व

   – रिफाइनरी संयंत्र में उत्पन्न एनोड स्क्रैप का आकलन

   – भूमिगत खानों में खनन योग्य अयस्क भंडार

   – खुली खानों में स्ट्रिपिंग अनुपात

तुलन पत्र :

4. स्थायी आस्तियाँ :

4.1 स्थायी आस्तियों को लागत पर अभिलेखित किया जाता है। स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की सारणी 15 में निर्धारित दरों के आधार पर सरल पद्धति से किया गया है। 1.04.93 से पहले अर्जित आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की सारणी 15 में निर्धारित दरों पर प्रकट हुई शेष अवधि पर अऋणपरिशोधित मूल्य का विनिधान करते हुए व्युत्पन्न दर पर प्रभारित किया जाता है।

4.2 नयी परियोजना होने पर संयंत्र, यंत्र तथा भवन/आवास के संबंध में मूल्यह्रास वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से आँका जाता है।

4.3 स्थायी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन हर पाँचवें वर्ष किया जाता है।

4.4 सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों से अर्जित स्थायी आस्तियों को लेखा बही में लागत पर दर्ज किया जाता है तथा विशिष्ट प्रारक्षित निधि में रखा जाता है, जिसे लाभ-हानि लेखा में स्थानान्तरित कर आस्तियों की उपयोगिता अवधि के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है।

4.5 पूँजीगत मालों के लिए अंतिम बिलों के लंबित पुर्नमेल/प्राप्ति, पूँजीकरण दर्ज लागत के आधार पर की जाती है तथा मूल्यह्रास तदनुरूप प्रभारित किया जाता है। मूल्य अंतर, यदि कोई हो, बिलों के निपटान वर्ष में समायोजित कर दिए जाते हैं।

4.6 जब किसी नए स्थान पर नई इकाई स्थापित की जाती है, तब उसके निर्माण संबंधी सभी प्रत्यक्ष पूँजीगत व्ययों एवं अप्रत्यक्ष आकस्मिक व्ययों का पूँजीकरण स्थायी आस्तियों की विभिन्न मदों में समुचित आधार पर विनिधान कर किया जाता है। परन्तु जब कोई चालू इकाई अपना विस्तार कार्य सामान्य उत्पादन कार्य के साथ करती है, तब इस तरह के विस्तार से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्ययों का पूँजीकरण किया जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4.7 नयी एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए विशेष ढंग से लिए गये ऋणों पर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की अवधि तक के ब्याज/वित्त लागत को संबंधित परियोजना की पूँजीगत लागत में प्रभारित किया जाता है।

4.8 नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किये गये व्यय को संबंधित योजना के प्रति उसके कार्यान्वित होने तक अग्रानीत कर दिया जाता है। किसी परियोजना के परियोजना व्यय, जो निष्फल हो गए हैं अथवा उसके परित्यक्तता व्यय को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है।

5. खान विकास व्यय :

5.1 भूगर्भ खान के मामले में नयी खान के विकास एवं विशेषतः चालू खान के परिवर्ती विकास पर व्यय का पूँजीकरण एवं परिशोधन वर्ष में निकाले गए अयस्क और खनन योग्य अयस्क भंडारों के समय-समय पर किए गए आकलन के आधार पर होता है। विकास कार्य के दौरान प्राप्त अयस्क का समायोजन उसके निकाले गए वसूली योग्य मूल्य पर व्यय में कर दिया जाता है।

5.2 व्यय को विभिन्न खानों/स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है और आंतरिक तकनीकी अनुमानों के आधार पर पूँजी या राजस्व खान विकास व्यय के रूप में समझा जाता है।

5.3 खुली खान के मामले में अपशिष्ट एवं अधिभार हटाने के व्यय को पूँजीकृत कर, उस वर्ष के वार्षिक अयस्क उत्पादन तथा कंपनी द्वारा भारित औसत दर के आधार पर खान के स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुरूप उसका ऋण परिशोधन कर दिया जाता है।

5.4 नए भंडारों के अन्वेषण पर हुआ व्यय खान विकास व्यय में जोड़ दिया जाता है। यदि अन्वेषण संबंधी क्रिया-कलाप निष्फल सिद्ध होते हैं तो खान विकास व्यय में सम्मिलित इस प्रकार के कार्यों पर किया गया व्यय, जिस वर्ष परियोजना परित्यक्त होती है, उस वर्ष बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

6. मुख्य ओवरहॉलिंग व्यय :

प्रगालक/रिफाइनरी की मुख्य ओवरहॉलिंग पर हुए व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन साल की अवधि में उस खर्च की एक-एक तिहाई बट्टे खाते डाल दी जाती है।

7. मालसूची :

7.1 मालसूची का मूल्यांकन वर्ष के अन्त में प्रत्यक्षतः उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापन में पायी गई अधिकता/कमी के कारण हुई विसंगतियों को तदनुसार समायोजित कर अभिलेखित कर दिया जाता है।

7.2 कच्चे माल, भंडार वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। फुटकर औजारों तथा मार्गस्थ सामग्री का मूल्यांकन लागत के आधार पर होता है। फुटकर औजारों की निकासी होने पर उन्हें राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

7.3 तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन वर्ष के अन्त में न्यूनतम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अथवा इकाई के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। लागत में वित्तीय लागत मदों जैसे ब्याज, बैंक प्रभार आदि शामिल नहीं है। निर्माणाधीन चालू कार्य के अंतर्गत स्लैग का मूल्य, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत ये उत्पादन होते हैं, उस प्रक्रिया के लिए जमा मूल्य सीमा के बराबर निर्धारित किया जाता है। निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत रिवर्टो का मूल्य निम्न लागत पर (सांद्र मूल्य के बराबर) और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित है। उर्वरक संबंधी सहायिकी पर उनके स्टाक मूल्यांकन के समय विचार नहीं किया जाता।

7.4 भंडार में या गोदाम में पड़े तैयार माल की उत्पादन शुल्क की देयता लेखे में प्रयुक्त की गयी है और स्टॉक मूल्यांकन में उस पर विचार भी किया जाता है। अन्य स्टॉकों के शुद्ध मूल्य में, जहाँ सेनवैट लागू होता है, उत्पादन शुल्क शामिल रहता है।

7.5 एनोड स्लाइड तथा रिच "कॉपर" और कॉपर डस्ट के भंडार जो विवेचन और परिशोधन की प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं तथा जिनका विक्रय अपेक्षित है, उनकी भौतिक उपलब्धि और विवेचन और परिशोधन प्रभारों का समुचित समायोजन करने के बाद देशी बाजार मूल्य के आधार पर वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

7.6 वर्ष के अंत में अंतर इकाई अंतरण के फलस्वरूप मालसूची की मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, अंतरणकर्ता इकाई के लिए जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। वर्ष के अंत में तैयार माल और उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर पड़ी अर्द्धनिर्मित सामग्री के मामले में ऐसे अंतरित उत्पादों की लागत और अंतरण मूल्य के अन्तर को समायोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि तलोजा इकाई को छोड़कर यह व्यावहारिक रूप से निर्णय योग्य नहीं है।

7.7 स्क्रैप स्टॉक का लेखा वसूली/पुनरावर्तन के आधार पर किया जाता है।

7.8 आयातित सामग्री का मूल्यांकन अनन्तिम रूप से भारित औसत लागत पर किया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क और चालान की कीमत सुनिश्चित करना बाकी रहता है। घट-बढ़ का लेखा निपटान वर्ष में किया जाता है।

7.9 हर तीसरे वर्ष अचल भंडार-वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों का (बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर) लेखों में प्रावधान कर दिया जाता है,जो पाँच वर्षों से एक जगह पड़े हुए हैं।

लाभ एवं हानि लेखा :

8. बिक्री :

बिक्री में समय-समय पर दी जाने वाली छूट/बट्टा शामिल है।

9. दावे :

निर्धारित क्षतियों तथा बीमा संबंधी दावों का लेखा कंपनी द्वारा उनकी कटौती अथवा/या वसूली योग्य समझे जाने पर किया जाता है।

10. रूपान्तरण प्रभार :

नियत कार्य के रूपान्तरण से आय का लेखा प्रेषण के आधार पर किया जाता है।

11. साखपत्रों पर ब्याज :

तुलन-पत्र के दिन तक बकाया बिलों पर ब्याज का लेखा प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति के समय आनुतोषिक तथा छुट्टी नकदीकरण :

सेवानिवृत्ति के समय आनुतोषिक एवं छुट्टी नकदीकरण की देयता उनके बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त की जाती है।

13. बोनस/अनुग्रह राशि :

संबंधित इकाइयों के लेखों में अनुमानित आधार पर बोनस/अनुग्रह राशि का प्रावधान किया जाता है।

14. भविष्य निधि में कमी :

भविष्य निधि न्यास के लेखे की कमी को, यदि कोई है, न्यास द्वारा बंद किए गए पिछले लेखों के आधार पर प्रोद्भूत देयता निर्धारित कर आकलित किया जाता है।

15. सामान्य :

15.1 विदेशी मुद्रा कारोबार :

15.1.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन को सामान्यतः लेन-देन के समय की प्रचलित विनिमय दर के आधार पर अभिलेखित किया जाता है।

15.1.2 वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा संबंधी वित्तीय मदों को जिन्हें अग्रवर्ती विनिमय करारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वर्ष के अन्त की दर पर रूपान्तरित कर लिया जाता है तथा अग्रवर्ती विनिमय करारों के अंतर्गत आने वाली मदों को अग्रवर्ती दर तथा विनिमय दर के बीच घट-बढ़ की आनुपातिक अन्तर द्वारा लेन-देन की तिथि में वर्तमान दर के आधार पर रूपान्तरित कर दिया जाता है। ऐसे अन्तर की मान्यता पूरे करार अवधि के दौरान की जाती है।

15.1.3 विदेशी मुद्रा संबंधी गैर वित्तीय मदों को लागत पर रखा जाता है।

15.1.4 समाधान अथवा रूपान्तरण के कारण विनिमय में अन्तर से उत्पन्न किसी भी आय अथवा व्यय की मान्यता लाभ-हानि लेखे में की जाती है। परन्तु जहाँ उनका संबंध स्थायी आस्तियों के अधिग्रहण से होता है, वहाँ इन्हें ऐसी आस्तियों की परिवहन लागत के साथ समायोजित कर दिया जाता है।

15.2 पिछले वर्ष के नामे और जमा :

पिछले वर्ष के नामे और जमा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 5 (ले.मा.- 5) के अनुसार ही अभिलेखित किया जाता है।

15.3 अनुसंधान एवं विकास व्यय :

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले व्यय को जिस वर्ष व्यय होता है, उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। इस संबंध में स्थायी आस्तियों पर हुए व्यय को पूँजीकृत कर दिया जाता है।

15.4 स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति व्यय :

15.4.1 निजी कोष से प्रदत्त :

कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध अपने निजी कोष से किए गए व्यय को 60 मास की अवधि में राजस्व में डाल दिया जाता है।

15.4.2 सरकारी अनुदान से प्रदत्त :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्ययों को लाभ और हानि लेखे में तदनुरूपी जमाओं के साथ भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति पर लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है।

15.4.3 सरकारी ऋण कोष से प्रदत्त :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर विशिष्ट रूप से इसके लिए प्रदत्त सरकारी ऋण से किए गए व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय समझा जाता है तथा उसे ऐसे ऋण की शर्तों के अनुरूप राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

तुलन पत्र

31 मार्च, 2004 को

(रु. '000)

	सारणी सं		31.03.2004	31.03.2003
निधि के स्त्रोत				
शेयरधारियों की निधि				
शेयर पूँजी	**1**	5,436,104		5,436,104
आबंटन के लिए शेष शेयर राशि		3,653,400		2,515,000
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	**2**	74,390		69,169
			9,163,894	8,020,273
ऋण निधि				
जमानती ऋण	**3**	4,149,754		4,716,047
गैर-जमानती ऋण	**4**	238,245		248,245
			4,387,999	4,964,292
कुल			13,551,893	12,984,565
निधियों का प्रयोग				
स्थायी आस्तियाँ				
कुल खंड		6,947,507		6,926,023
घटाएँ : मूल्यह्रास		4,784,508		4,627,584
शुद्ध खंड	**5**	2,162,999		2,298,439
प्रावधान सहित छाँटी हुई आस्तियाँ	**5**	7,893		15,152
पूँजीगत चालू कार्य	**6**	183,006		194,711
खान विकास व्यय	**7**	2,812,598		2,934,852
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम	**8**	—		270
			5,166,496	5,443,424
निवेश	**9**		21	22
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
मालसूची	**10**	1,699,589		1,739,051
विविध देनदार	**11**	180,765		61,824
नकद एवं बैंक जमा	**12**	170,294		1,288,219
अन्य चालू आस्तियाँ	**13**	13,192		20,361
ऋण एवं अग्रिम	**14**	487,786		492,343
		2,551,626		3,601,798
घटाएँ : चालू आस्तियाँ एवं प्रावधान	**15**	2,561,842		3,861,311
शुद्ध चालू आस्तियाँ			(10,216)	(259,513)
विविध व्यय	**16**		33,711	—
लाभ-हानि लेखा			8,361,881	7,800,632
कुल			13,551,893	12,984,565
लेखा पर टिप्पणियाँ	**25**			

संलग्न लेखा नीतियाँ तथा 1 से 25 तक सारणियाँ लेखे के अंश है।
समतिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

हिरेन मेहता
भागीदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004

कृते एम.सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम. आर. जैन
भागीदार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

राणा सोम	कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आर. के. भार्गव	निदेशक
सी. एस. सिंघी	कंपनी सचिव

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. '000)

	सारणी सं	2003-04	2002-03
आय			
कुल बिक्री		4,992,848	5,056,761
घटाएँ उत्पाद शुल्क		667,984	563,359
शुद्ध बिक्री		4,324,864	4,493,402
आंतरिक निर्गम		5,221	4,349
अन्य आय	**17**	124,339	113,830
सहायता अनुदान		1,267,494	1,283,336
तैयार माल, आधे तैयार तथा प्रक्रियाधीन माल के स्टाक में वृद्धि/(ह्रास)	**18**	25,995	(146,407)
		5,747,903	5,748,510
व्यय			
सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक	**19**	913,314	1,221,168
कर्मचारियों के वेतन और लाभ	**20**	918,362	1,147,525
निर्माण, प्रशासन, विक्रय और वितरण संबंधी अन्य व्यय	**21**	1,863,323	2,097,930
उत्पादन शुल्क		28,827	144,136
गत वर्षों का शुद्ध नामे/(जमा)	**22**	5,839	13,189
ब्याज	**23**	596,242	595,698
प्रावधान, हानियाँ और बट्टे खाते	**24**	125,571	96,807
स्वै. सेवानिवृत्ति व्यय – अपने कोष से		—	48,656
– सहायता अनुदान से		1,267,494	1,283,336
मूल्यह्रास		177,034	179,988
खान विकास व्यय का ऋण परिशोधन		413,495	397,067
		6,309,501	7,225,500
इस वर्ष का लाभ/(हानि)		(561,598)	(1,476,990)
गत वर्ष के लेखे से अग्रानीत लाभ/(हानि)		(7,800,632)	(6,324,002)
विशेष प्रारक्षित निधि से अंतरण		349	360
विनियोजना हेतु उपलब्ध राशि		(8,361,881)	(7,800,632)
तुलनपत्र में अग्रानीत लाभ/(हानि) का शेष		(8,361,881)	(7,800,632)
प्रति शेयर आय (रुपए)		(–) 1.55	(–) 4.07
लेखा पर टिप्पणियाँ	**25**		

संलग्न लेखा नीतियाँ तथा 1 से 25 तक सारणियाँ लेखे के अंश है।
समतिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

हिरेन मेहता
भागीदार

कृते एम.सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम. आर. जैन
भागीदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

राणा सोम	कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आर. के. भार्गव	निदेशक
सी. एस. सिंघी	कंपनी सचिव

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

(रु. '000)

			31.03.2004 को	31.03.2003 को
1.	**शेयर पूँजी**			
	अधिकृत :			
70,00,00,000	प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर		7,000,000	6,000,000
20,00,000	प्रत्येक रु. 1000/- के 7.5% वाले नॉन क्युमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर		2,000,000	2,000,000
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :			
34,51,33,700	प्रत्येक रु. 10/- के नकदी भुगतान वाले ईक्विटी शेयर		3,451,337	3,451,337
1,02,44,300	अनुबंध के तहत बिना नकदी भुगतान वाले प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर		102,443	102,443
75,00,000	बिना नकदी भुगतान वाले इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रत्येक रु. 10/- के ईक्विटी शेयर		75,000	75,000
			3,628,780	3,628,780
18,07,324	प्रत्येक रु. 1000/- के 7.5% वाले नॉन क्युमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर		1,807,324	1,807,324
			5,436,104	5,436,104
	आबंटन के लिए शेष शेयर राशि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		2,515,000	1,665,00
	वर्ष के दौरान प्राप्त		1,138,400	850,000
			3,653,400	2,515,000
2.	**प्रारक्षित एवं अधिशेष**			
	पूँजीगत प्रारक्षित निधि :			
	पूँजीगत पिछले तुलनपत्र के अनुसार	65,417		65,312
	वर्ष के दौरान योग	5,570		105
			70,987	65,417
	विशेष प्रारक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,752		4,112
	घटाएँ : लाभ-हानि लेखा में अंतरित	349		360
			3,403	3,752
			74,390	69,169

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

(रु. '000)

			31.03.2004	31.03.2003
3.	**जमानती ऋण**			
क.	डिबेंचर			
	10,000 रु. 87,500/- प्रत्येक के 14% जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (विगत वर्ष रु. 1,00,000 प्रत्येक), (नोट-1)		875,000	1,000,000
	मुंबई में फ्लैटों को बंधक रखकर तथा खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स, खेतड़ी, मलंजखंड ताम्र परियोजना, मलंजखंड तथा तलोजा ताम्र परियोजना, तलोजा में संपूर्ण वर्तमान एवं संभावित (बही ऋणों तथा अन्य चालू आस्तियों को छोड़कर) आस्तियाँ (सचल एवं अचल) पर प्रथम अधिकार तथा भारत सरकार की प्रति गारंटी द्वारा प्राप्त			
ख.	बैंकों से नकद ऋण		761,136	1,394,870
	कंपनी के वर्तमान एवं संभावित व्यापाराधीन स्टाक, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा बही ऋणों आदि के दृष्टिबंधन द्वारा प्राप्त खेतड़ी, मलंजखंड और तलोजा परियोजनाओं की अचल सम्पत्तियों पर द्वितीय अधिकार द्वारा फिर से प्राप्त			
ग.	बैंकों से ऋण एवं अग्रिम-अल्पावधि		632,428	402,977
घ.	अन्य ऋण एवं अग्रिम			
	1. 10.65% वाले जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय रु. 10,000,000/- प्रत्येक के बांड (नोट-2) मुंबई के एक फ्लैट को बंधक रखकर प्राप्त। भारत सरकार की गारंटी द्वारा खेतड़ी, मलंजखंड और तलोजा की आस्तियों के लंबित सम्पादन पर पेरीपासू अधिकार द्वारा फिर से प्राप्त		1,500,000	1,500,000
	2. रु. 70,000/- प्रत्येक के 14.75% वाले 7 वर्षीय प्रतिदेय बांड (गत वर्ष रु. 1,00,000/-) (नोट-3)	85,890		122,700
	3. रु. 100,000/- प्रत्येक के 15% वाले 5 वर्षीय प्रतिदेय बांड (नोट-4) बांडधारियों के न्यासियों के पास इंडियन कॉपर कॉम्पलेक्स, घाटशिला तथा प्रधान कार्यालय भवन, कोलकाता के हक विलेख डीड को जमा करा कर विशिष्ट आस्तियों पर प्रथम अधिकार द्वारा प्राप्त	295,300	381,19	295,500 418,200
			4,149,754	4,138,633

अगले 12 महीनों में देय होने वाली राशि रु. 1,214,538 हजार (विगत वर्ष रु. 860,287 हजार)

नोट 1 : 14% के जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय डिबेंचर 15 दिसम्बर, 2003 से शुरू होकर रु. 62,500 हजार की दर से 16 तिमाही किस्तों में 15 सितम्बर, 2007 तक प्रतिदेय है, जिसमें से कंपनी ने वर्ष के दौरान दो किस्त प्रतिदेय कर दी है और फलस्वरूप प्रत्येक डिबेंचर का प्रत्यक्ष मूल्य रु. 100,000 से घटकर रु. 87,500 हो गया है।

नोट 2 : प्रत्येक 10,000,000 के 10.65% वाले कुल रु. 1,500,000/- हजार के जमानती प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड 1 अप्रैल, 2006 तथा 1 जुलाई, 2006 को सममूल्य पर क्रमशः रु. 750,000 हजार के हिसाब से दो भाग में प्रतिदेय है।

नोट 3 : प्रत्येक रु. 1,000,000 के 14.75% वाले 7 वर्षीय कुल रु. 122,700 हजार के प्रतिदेय बांड 31 मई, 2003 से सममूल्य पर 30%, 30% तथा 40% की तीन वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय होंगे। 30% की प्रथम किस्त जो 31 मई, 2003 को देय हो गई थी, को वर्ष के दौरान प्रतिदेय कर दिया गया है और फलस्वरूप बांड का प्रत्यक्ष मूल्य रु. 1,000,000/- से घटकर रु. 70,000/- प्रत्येक हो गया है।

नोट 4 : प्रत्येक रु. 100,000 के 15% वाले 5 वर्षीय कुल रु. 295,500 हजार के प्रतिदेय बांड 30 जून, 2003 को सममूल्य पर प्रतिदेय है। हालाँकि उन्हें देय तिथि को प्रतिदेय नहीं किया जा सका। वर्ष के दौरान कंपनी ने केवल रु. 200 हजार प्रतिदेय किए हैं।

(रु. '000)

		31.03.2004	31.03.2003
4. गैर जमानती ऋण			
1. सावधि जमा			
दावेरहित सार्वजनिक जमा	41		41
जोड़ें : प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	13		13
		54	54
2. अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम			
14% निजी रूप से प्रदत्त बांड्स (नोट-1)	235,000		245,000
जोड़ें : प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	3,191		3,191
		238,191	248,191
		238,245	248,245

अगले 12 मासों में देय राशि रु. 235,041 हजार (गत वर्ष रु. 245,041 हजार)

नोट 1 : रु. 633,300 हजार के 14% गैर जमानती निजी तौर पर दिए गए बांड में से कंपनी रु. 398,300 हजार (वर्ष के दौरान रु. 10,000 हजार सहित) प्रतिदेय कर चुकी है और रु. 235,000 हजार के शेष है यद्यपि बांड भुगतान के लिए कालातिदेय है।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

5. स्थायी आस्तियाँ

(रु. '000)

विवरण	कुल खंड								मूल्यह्रास					शुद्ध खंड
	01.04.2003 को	वर्ष के दौरान				31.03.2004 को	1.04.2003 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान			31.03.2004 तक	31.03.2004 को	31.03.2003 को
		योग	कटौती	अप्रयुक्त	समायोजन				कटौती	अप्रयुक्त	समायोजना			
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
भूमिः														
पूर्ण स्वामित्व वाली	12765	—	—	—	—	12765	—	—	—	—	—	—	12765	12765
पट्टे पर	14590	—	—	—	—	14590	4650	133	—	—	—	4783	9807	9940
सड़कें, पुल एवं पुलिये	60539	—	—	(–)1488	—	59051	18432	1062	—	(–)312	—	19182	39869	42107
रेलवे साइडिंग	10075	709	—	—	—	10784	8628	204	—	—	—	8832	1952	1447
** सफाई और जलापूर्ति व्यवस्था सहित इमारतें	1177522	—	—	2057	—	1179579	494181	21499	—	1084	—	516764	662815	683341
संयंत्र, कलपुर्जे एवं खनन उपकरण	4777992	68108	6511	(–)33152	(–)1886	4804551	3511110	150079	6127	(–)30726	(–)1727	3622609	1181942	1266882
विद्युत उपकरण एवं संस्थापन	315711	133	9	4	1886	317725	198057	11011	6	4	1875	210941	106784	117654
शैफ्ट एवं इनक्लाइन	371265	—	—	(–)5510	—	365755	249603	10006	—	(–)5263	—	254346	111409	121662
वाहन	88626	—	4626	1838	—	85838	76478	3706	4366	1746	(–)51	77513	8325	12148
फर्नीचर, साज-सामान, कार्यालय, अस्पताल, सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण	96938	234	83	(–)220	—	96869	66445	3177	77	(–)192	185	69538	27331	30493
कुल	6926023	69184	11229	(–)36471*	—	6947507	4627584	200877	10576	(–)33659*	282##	4784508	2162999	2298439
विगत वर्ष	6977883	106318	1944	(–)156234	—	6926023	4560033	206070	1820	(–)136582	(–)117	4627584	2298439	2417850
छाँटी गयी आस्तियों का विवरण														
छाँटी गयी आस्तियाँ	374695	58969	22498	—	—	411166	304696	54930	21271	—	—	338355	72811	69999
घटाएँ प्रावधान													64918	54847
प्रावधान सहित शुद्ध छाँटी गई आस्तियाँ													7893	15152

\# देखें मुख्य लाभ एवं हानि लेखा, सारणी सं. 7

देखें सारणी सं. 22.

सारणी सं. 17 में वर्ष के दौरान रु. 267 हजार का पुनरांकित प्रावधान शामिल है।

* अप्रयुक्त आस्तियों और तदनुरुपी मूल्यह्रास के आँकड़ो में वर्ष के दौरान योग और कटौती शामिल है।

** पट्टेवाली भूमि में रु. 88,495 हजार (गत वर्ष रु. 88,495 हजार) शामिल है।
स्थायी आस्तियों में भंडार में पड़ी रु. 6,765 हजार (गत वर्ष रु. 6,934 हजार) की मदें शामिल हैं और इन मदों पर रु. 3,765 हजार का होनेवाला मूल्यह्रास पुरानी प्रथा के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया है।

(रु. '000)

		31.03.2004	31.03.2003
6. पूँजीगत चालू कार्य			
संयंत्र और यंत्र	367,284		367,284
(मार्गस्थ रु. शून्य हजार सहित - गत वर्ष शून्य हजार रु.)			
अन्य	309,881		310,405
		677,165	677,689
घटाएँ : प्रावधान		494,159	482,978
		183,006	194,711
7. खान विकास व्यय			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,382,865		3,434,586
जोड़ें : सारणी 7.01 के अनुसार इस वर्ष हुए व्यय	299,430		349,153
		3,682,295	3,783,739
घटाएँ :			
खान विकास के दौरान प्राप्त अयस्क का मूल्य	8,189		3,807
ऋण परिशोधन	413,495		397,067
		421,684	400,874
		3,260,611	3,382,865
घटाएँ : प्रावधान		448,013	448,013
		2,812,598	2,934,852
7.1 खान विकास व्यय			
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		64,309	90,386
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		6,489	8,671
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण		3,542	3,286
उपदान		339	249
उपभुक्त भंडार वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक		139,868	156,459
विद्युत, ईंधन एवं जल		39,233	42,064
मरम्मत :			
– इमारत		314	601
– संयंत्र और यंत्र		4,017	3,773
– अन्य		3,312	2,461
बीमा		399	376
रायल्टी		—	245
पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, सैम्पलिंग तथा विश्लेषण		6,702	7,647
मूल्यह्रास		23,843	26,034
विविध		7,063	6,901
		299,430	349,153

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

(रु. '000)

		31.03.2004	31.03.2003
8. पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम			
गैर जमानती - शोध्य समझा गया		—	270
संदिग्ध समझा गया		2	2
		2	272
घटाएँ : प्रावधान		2	2
		—	270
9. निवेश (लागत पर)			
डिबेंचरों में गैर व्यापारी निवेश : अनिवेदित			
– वूडलैण्ड्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर लि. को पूर्णत : प्रदत्त प्रत्येक रु. 1000/- मूल्य के 5% वाले 17 डिबेंचर		17	17
– इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री को पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रु. 100/- मूल्य के 8% वाले 12 डिबेंचर तथा रु. 25/- मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 8% वाले 2 भिन्नपरक प्रमाणपत्र डिबेंचर		—	1
– बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री को पूर्णत : प्रदत्त प्रत्येक रु. 1000/- मूल्य के 6% वाले 4 अप्रतिदेय पंजीकृत डिबेंचर (1962)		4	4
		21	22
कुल बही मूल्य - अनिवेदित		21	22
10. माल सूची (प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा प्राप्त, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)			
कच्चा माल (लागत पर) (मार्गस्थ 1,444 हजार रु.) (गत वर्ष शून्य हजार रु.)		6,321	841
आधे तैयार एवं निर्माणाधीन माल (लागत से निम्न या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)	953,420		1,061,270
घटाएँ : प्रावधान	44,359		45,131
		909,061	1,016,139
तैयार माल (लागत से निम्न या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर) (मार्गस्थ रु. शून्य - गत वर्ष रु. 29,789 हजार)	452,146		318,302
घटाएँ : प्रावधान	20,452		19,974
		431,694	298,328
भंडार-वस्तुएँ एवं अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर) (मार्गस्थ रु. 21,006 हजार - गत वर्ष रु. 18,745 हजार)	787,164		800,977
घटाएँ : अव्यवहार/अप्रचलन एवं सत्यापन संबंधी विसंगतियों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	433,867		378,121
घटाएँ : अनियमित प्रयोग के भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	3,449		1,759
		349,848	421,097
फुटकर औजार (लागत पर)		2,674	2,646
		1,699,589	1,739,051

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

(रु. '000)

		31.03.2004	31.03.2003
11. विविध देनदार			
छः मास से अधिक वाले	49,936		46,442
अन्य ऋण	171,007		56,793
		220,943	103,235
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		40,178	41,411
		180,765	61,824
ऋण का विवरण :			
गैर-जमानती - शोध्य समझा गया		180,765	61,824
संदिग्ध समझ गया		40,178	41,411
		220,943	103,235
12. नकद एवं बैंक जमा			
हाथ में नकद और स्टाम्प		1,246	16,895
हाथ में चेक/ड्राफ्ट		17,927	1,137,902
अधिसूचित बैंकों में जमा राशि :			
क. सावधि जमा खातों में	55,894*		52,323
ख. चालू खातों में	95,201		80,407
ग. मार्जिन मनी	26		692
		151,121	133,422
		170,294	1,288,219

* सावधि जमाओं को बांडों की मूल राशि और ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु रखा गया है।

13. अन्य चालू आस्तियाँ			
प्रोद्भूत ब्याज :			
- ऋण/अग्रिम/जमा एवं अन्य		13,192	20,361
		13,192	20,361
14. ऋण एवं अग्रिम			
ऋण	10,318		15,112
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या	156,895		115,986
मूल्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम	33,162		41,137
वसूली योग्य दावे			
जमा	394,800		370,856
सीमा-शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास बकाया राशि	4,683		9,201
		599,858	552,292
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिमों एवं दावों के लिए प्रावधान		112,072	59,949
		487,786	492,343
ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण :			
शोध्य समझा गया – जमानती		7,137	10,394
– गैर-जमानती		480,649	481,949
संदिग्ध समझा गया		112,072	59,949
		599,858	552,292
टिप्पणी : निदेशक से प्राप्य राशि		—	—
एक अधिकारी से प्राप्य राशि		—	—
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि : – निदेशक से		—	—
– अधिकारी		—	1

(रु. '000)

		31.03.2004	31.03.2003
15. चालू देयताएँ एवं प्रावधान			
चालू देयताएँ			
विविध लेनदार - माल		323,084	510,105
विविध लेनदार - अन्य		785,599	826,808
विविध लेनदार - ल. उ. इका.		87,753	52,324
प्रतिभूति एवं अग्रिम धन (अर्नेस्ट मनी) जमा		194,391	195,446
सहायता अनुदान			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,177,817		261,153
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	250,000		2,200,000
	1,427,817		2,461,153
घटाएँ : लाभ एवं हानि खाते में अंतरण	1,267,494		1,283,336
		160,323	1,177,817
अन्य देयताएँ		547,899	638,036
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है		68,048	70,972
		2,167,097	3,471,508
प्रावधान :			
सम्पति कर	7,282		6,282
अन्य	387,463		383,521
		394,745	389,803
		2,561,842	3,861,311
16. विविध व्यय (असमायोजन तथा बट्टे खाते न डाले जाने की सीमा तक)			
प्रगालक/रिफाइनरी की मुख्य ओवरहालिंग			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		—	25,498
वर्ष के दौरान व्यय			
भंडार	22,033		—
अतिरिक्त पुर्जे	—		—
अनुरक्षण संयंत्र (अनुबंधात्मक)	11,678		—
		33,711	—
घटाएँ :			
आलोच्य वर्ष में प्रभारित :			
भंडार	—		9,038
अतिरिक्त पुर्जे	—		3,502
अनुरक्षण संयंत्र (अनुबंधात्मक)	—		12,958
अनुरक्षण अन्य (अनुबंधात्मक)	—		—
		—	25,498
		33,711	—
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	—		48,656
जोड़े : वर्ष के दौरान व्यय	1,267,494		1,283,336
	1,267,494		1,331,992
घटाएँ : लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित	1,267,494		1,331,992
		—	—
		33,711	—

(रु. '000)

	2003-04	2002-03
17. अन्य आय		
स्क्रैप की बिक्री	34,801	29,469
स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	3,101	442
भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	310	518
ब्याज :		
– ऋणों, अग्रिमों, जमा आदि पर	15,324	10,430
– ग्राहकों से प्राप्त	13,924	15,056
दावे	579	7,480
बट्टे खाते डाले गए प्रावधान	4,723	13,238
विनिमय घट-बढ़ पर हानि/(लाभ)	26,726	13,238
विविध	24,851	31,377
	124,339	113,830
18. तैयार, आधे तैयार और निर्माणाधीन माल के स्टाक में वृद्धि/(ह्रास)		
खुला स्टॉक :		
तैयार माल	318,302	265,891
समायोजन	—	(1,360)
	318,302	264,531
आधे तैयार एवं निर्माणाधीन माल	1,061,270	1,261,448
कुल खुला स्टॉक	1,379,572	1,525,979
बंद स्टॉक :		
तैयार माल	452,146	318,302
आधे तैयार और निर्माणाधीन माल	953,421	1,061,270
कुल बंद स्टॉक	1,405,567	1,379,572
वृद्धि/(ह्रास)	25,995	(146,407)
19. सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक		
उपभुक्त कच्चा माल	482,297	777,730
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं उपभुक्त औजार	422,828	439,631
खान विकास के दौरान निकले अयस्क का मूल्य	8,189	3,807
	913,314	1,221,168
20. कर्मचारियों का वेतन और लाभ		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	767,101	952,073
बोनस/अनुग्रह राशि	262	520
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	81,124	99,997
कामगार एवं स्टाक कल्याण	62,205	73,115
उपदान	7,670	21,820
	918,362	1,147,525

(रु. '000)

		2003-04	2002-03
21. उत्पादन, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण संबंधी अन्य व्यय			
विद्युत, ईंधन और जल		1,314,498	1,502,883
मरम्मतः			
इमारत	4,532		5,027
संयंत्र और यंत्र	37,211		38,589
अन्य	17,065		20,199
		58,808*	63,815
मुख्य ओवरहालिंग व्यय		—	25,498
रायल्टी, उपकर एवं आज्ञप्त राशि		101,852	88,921
बीमा		10,347	12,864
किराया		7,790	5,756
दर एवं कर		14,167	11,470
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक :			
लेखा परीक्षा शुल्क :			
– सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क	281		303
– कर लेखा-परीक्षा शुल्क	105		114
– अन्य प्रयोजन से	297		296
– व्यय हेतु	96		73
		779	786
– लागत लेखा-परीक्षक शुल्क	40		40
– व्यय हेतु	5		2
		45	42
आंतरिक लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय	361		574
– व्यय हेतु	193		219
		554	793
निदेशकों के शुल्क			
लेखा परीक्षा समिति शुल्क		10	14
माल उठाई एवं परिवहन		2	3
चंदा		203,586	240,236
कमीशन		746	827
विविध		150,139	144,002
		1,863,323	2,097,930

* विभागीय तौर पर की गयी मरम्मत में वेतन एवं मजदूरी पर रु. 273,346 हजार एवं उपभुक्त भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे पर व्यय के रु. 210,706 हजार (गत वर्ष क्रमशः रु. 320,136 हजार एवं रु. 236,662 हजार), जिन्हें लेखों के संबंधित शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है, शामिल नहीं है।

(रु. '000)

	2003-04	2002-03
22. विगत वर्षों के शुद्ध नामे/(जमा)		
नामे :		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	770	522
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	171	—
उपदान	26	—
ब्याज	97	—
मरम्मत और अनुरक्षण-संयंत्र, यंत्र और अन्य	12	30
उपभुक्त कच्चे माल, भंडार वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं औजार	1,808	6,417
माल उठाई एवं परिवहन प्रभार	216	—
मूल्यह्रास	282	48
विद्युत एवं ईंधन	34	2,288
बिक्री	—	2,608
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण	5	1
विविध व्यय	2,693	1,543
	6,114	13,457
जमा :		
विविध आय	275	268
शुद्ध नामे/(जमा)	5,839	13,189
23. ब्याज		
नकद जमा	164,714	168,443
प्रतिदेय बांड	96,270	97,699
भारत सरकार से प्रतिभूत प्रतिदेय बांड	159,750	159,750
डिबेंचर	139,169	140,000
अन्य	36,339	29,806
	596,242	595,698
24. प्रावधान, हानि एवं बट्टे खाते		
हेतु प्रावधान :		
– भंडार विसंगतियाँ	2,047	2
– संदिग्ध ऋण, अग्रिम एवं दावे आदि	42,609	14,212
– अनियमित प्रयोग के भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	1,690	1,759
– स्थायी आस्तियाँ, मालसूची की हानि	253	1,854
– पूँजीगत चालू कार्य	11,181	11,109
– संपत्ति कर	1,000	1,000
– स्थिर/अव्यवहार्य स्टॉक/अतिरिक्त पुर्जे	55,231	3,416
– खनन पट्टा	1,209	11,285
– खान बंदी - स्थायी आस्तियाँ	10,338	4,561
– खान विकास व्यय	—	47,609
	125,558	96,807
बट्टा खाता:		
– अग्रिम/दावे	13	—
	96,807	96,807

25. लेखा पर टिप्पणियाँ

(रु.'000)

		2003-04	2002-03
1.	पूँजीगत प्रतिबद्धताओं की अनुमानित राशि	207,917	208,559
2.	आकस्मिक देयताएं, जिनका दावा ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है :		
	क. बिक्री कर :	334,877	336,753
	ख. उत्पादन शुल्क :	852,335	329,280
	ग. अन्य :	2,563,955	2,020,041

3. राज्य सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि के पट्टा करार का अन्तिम रूप देना लंबित होने से अभीतक किए गए तदर्थ भुगतान का ऋण परिशोध किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकार के रिकार्डों में हि. कॉ. लि. के नाम पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि बिना औपचारिक दस्तावेजों के हस्तान्तरित कर दी गई है।

4. राष्ट्रीयकरण के समय आई सी सी में अधिगृहीत अचल आस्तियों के हक विलेख (टाइटिल डीड) कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

5. विविध लेनदारों, विविध देनदारों, ऋणों, अग्रिमों, वसूली योग्य दावों, मार्गस्थ माल तथा तीसरी पार्टी के पास पड़े स्टॉक की पार्टियों द्वारा पुष्टि होनी बाकी है ।

6. लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रम को 87753 हजार रु. (गत वर्ष 52324 हजार रु.) की बकाया देयता का भुगतान करना बाकी था । कालातिदेय राशि पर ब्याज का प्रावधान विशिष्ट दावों के अभाव में नहीं किया गया हैं।

7. आई सी सी इकाई में प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत पैकेज–I और III के अंतर्गत 210050 हजार रु. के संयंत्रों का पूँजीकरण अनुबंध के अनुसार परीक्षण/गारंटी प्रचालन की अपूर्णता लंबित रहने के कारण नहीं किया गया है। दूरदर्शिता के रुप में और समय बहाव का ध्यान रखकर खातों में रु. 33273 हजार का प्रावधान किया गया हैं।

8. प्रबंधन की राय में चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम एवं जमा व्यापार की सामान्य अवस्था में वसूली करने पर जितने की वे बतायी गयी हैं, कम से कम उतने मूल्य की हैं।

9. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ मताप इकाई में विद्युत शुल्क को लेकर विवाद के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले का नए सिरे से निपटान करने के लिए उसे वापस माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास भेज दिया हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित रहने के कारण स्वीकृत देयता से ज्यादा भुगतान की गई राशि को "जमा" में दर्शाया गया है। इस संबंध में वर्ष समाप्ति पर आकस्मिक देयताएँ तथा जमा क्रमशः रु.526647 हजार (गत वर्ष रु.465227हजार) और रु. 259447 हजार (गत वर्ष रु. 217227 हजार) थे।

10. बिहार राज्य विद्युत परिषद/झारखंड राज्य विद्युत परिषद को जुलाई, 1993 से मार्च, 2004 तक देय बकाया ईंधन सरचार्ज के ब्याज पर बोर्ड द्वारा निर्णय/समाधान न होने के कारण विचार नहीं किया गया है। दावे, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं।

11. कंपनी ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के उर्वरक संयंत्र के प्रचालन को इसके खर्चीले होने के कारण निलंबित कर दिया। प्रबंधन इसे बन्द करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। तथापि समय के बहाव को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया गया है।

12. कंपनी ने बदिया, पाथरगोड़ा, केन्दाडीह सहित मुसाबनी खान समूह तथा राखा खान को भी बंद कर दिया है। इन खानों से संबंधित रु. 172531 हजार की स्थायी आस्तियों के कुल बही मूल्य में से रु.56713 हजार मूल्य की आस्तियाँ बेकार के रूप में पहचानी गयी हैं। हालाँकि इन सभी बेकार सामानों के बीच अलगाव बाकी रहने के कारण जिनका या तो वसूली योग्य मूल्य है या अन्य आस्तियों सहित ऐसी आस्तियों से प्राप्त होने वाले कोई लाभ हो, इस खाते में किसी संभावित हानि को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त दूरदर्शिता के रूप में रु. 48820 हजार का प्रावधान किया गया है।

13. मुसाबनी सांद्रक और अन्य अनुषंगी सुविधाओं सहित सुरदा खान के प्रचालन को फिर से शुरू करने के आगे बढ़े हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थायी आस्तियों और अनुपयुक्त भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का प्रावधान लेखा में नहीं किया गया है।

14. कर्मचारियों को दहीगोड़ा में भूमि के अनन्तिम आबंटन से संबंधित प्रस्ताव चूँकि छोड़ दिया गया है और उनको जमीन की बिक्री के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क करने का निर्णय किया गया है।

15. खेतड़ी खान में, जो जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक बंद थी, जनवरी, 2004 से पुनः खनन गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। तदनुसार खान विकास व्यय के ऋण परिशोधन की गणना की गई है और जनवरी, 2004 से मार्च, 2004 से दौरान वास्तविक उत्पादन के आधार पर प्रभारित किया गया है।

16. कंपनी ने 31.03.2003 को रु. 8087016 हजार की राशि की हानियाँ तथा अनवशोधित मूल्यह्रास को अग्रानीत किया है लेकिन कंपनी ने अपनी लेखा बहियों में आस्थगित कर आस्तियों को चिह्नित नहीं किया है जिसका कारण अन्य बातों के साथ-साथ भावी पूर्वानुमान में पर्याप्त कर योग्य आय की कमी की दूरदर्शिता है जिसके विपरीत आस्थगित कर आस्ति वसूल की जा सकती है। यह लेखा मानक 22 में परिकल्पित प्रावधान के अनुसरण में है।

17. कंपनी मूलत : ताम्र उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यापार करती है। इसलिए आय और व्यय को एक एकल खंड में दर्ज किया गया है। यह व्यवस्था लेखा मानक 'सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17)' के अनुसार की गई है।

18. 31 मार्च, 2004 के अंदर वितरित नहीं किए जा सके रु. 29598 हजार स्वै. सेवानिवृत्ति व्यय में शामिल है।

19. ऐसी किसी पार्टी/कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसके साथ हि. कॉ. लि. के निदेशकों का हित जुड़ा हो।

20. बेसिक और डिल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त न्यूमरेटर और डिनोमीनेटर :

– लाभ/(हानि) इक्विटी शेयरधारकों पर आरोपणीय	**(क)**	**(–) 561,598**	**हजार**
– वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की बेसिक/वेटेज औसत संख्या	**(ख)**	**362,878,000**	
– ईक्विटी शेयर का अधिकृत मूल्य **(रु.)**		**10**	
– बेसिक/डिल्यूटेड प्रति शेयर आय **(रु.)**	**(क)/(ख)**	**(–) 1.55**	

21. कंपनी ने विशिष्ट संयंत्र और मशीनों से संबंधित विभिन्न कलपुर्जों की शिनाख्त की है लेकिन केसीसी और तलोजा इकाइयों में अनियमित प्रयोग के कारण उनके विरूद्ध लेखा में वर्ष के लिए मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है। समान शिनाख्त प्रक्रिया अन्य परियोजनाओं में जारी है।

22. 14% गैर जमानती निजी तौर पर दिए गए बांड की रु. 235000 हजार की राशि वर्ष के अंत में बकाया थी। यद्यपि बांड भुगतान के लिए कालातिदेय हो गए हैं।

23. मलंजखंड ताम्र परियोजना में सांद्र रेल द्वारा और साथ ही साथ सड़क द्वारा केसीसी और आईसीसी भेजा जाता है। रेल द्वारा प्रेषणों के लिए सेनवैट लाभ उठाने के लिए उत्पाद शुल्क पंजीकरण गोंदिया रेलवे साइडिंग पर लिया गया है। सांद्र को सड़क द्वारा मताप से गोंदिया प्रेषित किया जाता है और गीला वजन, धातु मात्रा और उत्पाद शुल्क का विवरण स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जब सांद्र रेल द्वारा केसीसी/आईसीसी भेजा जाता है तो आर आर रजिस्टार में दर्ज भार के बराबर तदनुरूपी उत्पाद शुल्क स्टाक रजिस्टर से निकाला जाता है और आवश्यक चालान गोंदिया में बनाया जाता है। तथापि, सांद्र को रेल में चढ़ाने के समय तक नमी की कुछ भाप होने से वजन कम हो जाता है जिसे स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस कारण स्टाक रजिस्टर के अनुसार स्टाक और प्रत्यक्ष स्टाक का मेल नहीं खाता और अनवशोषित उत्पाद शुल्क भी रजिस्टर में विद्यमान नहीं रहता है। उत्पाद शुल्क को प्रत्यक्ष स्टाक के समतुल्य रखने के लिए वर्ष के दौरान लेखा में रु. 40598 की राशि प्रदत्त की गई है जो सांद्र की वजन हानि कारण स्टाक रजिस्टर में अधिक शेष के रूप में प्रकट हो रही है।

24. विगत वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित कर लिया गया हैं।

अनुलग्नक (देखें : सारणी सं. 25 की टिप्पणी सं. 6)

31.03.2004 को 30 दिनों से ज्यादा अवधि तक
बकाया राशि वाली लघु उद्योग इकाइयों, कंपनी किसी राशि के लिए नकी ऋणी है, का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं.	पार्टी का नाम
01.	अल्फा कार्बन ब्रश मैन्यू. कं.
02.	बंगाल रबर मैन्यू. कं.
03.	सुमन इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
04.	के. एन. वेल्डिंग एंड इंजी. वर्क्स
05.	आर. के. इंडस्ट्रीज, जमशेदपुर
06.	गोयल इंडस्ट्रीज, जमशेदपुर
07.	एटलस इंडिया कारपोरेशन
08.	अशोका मशीन टूल्स
09.	अंकित इंड. गैसेज (प्रा.) लि., रायपुर
10.	दिनेश इंजी. वर्क्स
11.	दुजोदवाला रेजीन
12.	लक्ष्मी केमिकल
13.	गजलक्ष्मी आयरन वर्क्स
14.	इमको इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
15.	स्टील क्राफ्ट
16.	नागपुर इंजी. कं. लि.
17.	रिफ्रैक्टरी स्पेशिएलीटर
18.	शर्मा इंजीनिय. वर्क्स
19.	तिरुपति इंजी. वर्क्स
20.	यूनीकास्ट इंजी. प्रा. लि.
21.	अपोलो बैटरीज, रायपुर
22.	भारत मिनरल्स, कटनी
23.	छोटा नागपुर फाउन्ड्री लि., राँची
24.	इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज
25.	गिराज हाइड्रोलिक्स प्रा. लि., रायपुर
26.	जी. वी. एन. मेटल हैंडलिंग (प्रा.) लि., दिल्ली
27.	हावड़ा मशीनरी वर्क्स, राँची
28.	जायसवाल स्टील इंटरप्राइजेज, भिलाई
29.	मेटरिट प्रोडक्टस, बंगलौर
30.	एम. ए. एस. इंडस्ट्रीज, राँची
31.	ओरलिएंश इंजी. इंटरप्राइजेज, कोलकाता
32.	प्रीमियर रबर मिल्स, गुड़गाँव
33.	प्रीशिजन इंजी. वर्क्स, राँची
34.	रोलिक इंडस्ट्रीज, दिल्ली
35.	सिवा मेटल इंडस्ट्रीज, कोलकाता
36.	सुयोग केमिकल (प्रा.), नागपुर
37.	स्पेयर इंटरप्राइजेज, बंगलौर
38.	श्री जगन्नाथ फेरो कास्टिंग्स, कोलकाता
39.	थेजो इंजी. सर्विसेज, जमशेदपुर
40.	उत्कल मोल्डर्स, कोलकाता

क्रम सं.	पार्टी का नाम
41.	विक्रान्त रोप्स प्रा. लि.
42.	फाउन्ड्री ऑफ इंडिया
43.	वुल्कन इंडस्ट्रीयल इंजी. कं., मुम्बई
44.	भारत वूड वर्क्स
45.	कास्टवेल इंडस्ट्रीज
46.	जय वूड इंडस्ट्रीज
47.	लक्ष्मी पोलीप्लास्ट इंडस्ट्रीज
48.	माइक्रोटेक इंटरनेशनल
49.	एशोसिएटेड न्यूमेटिक इंडस्ट्रीज
50.	अमेरिकन रबड़ मैन्यू. कं., कोलकाता
51.	अरूद्रा इंजीनियर्स प्रा.लि., मद्रास
52.	अमन कन्वेयर रोलर इंडस्ट्रीज
53.	भारत इंजी. एंड मैन्यू. कं.
54.	बिहार स्टील प्रोडक्शन
55.	डाई लाईन एंड केमिकल प्रा.लि.
56.	हिन्दुस्तान फेसिंग इंडस्ट्रीज
57.	इंडो इंडस्ट्रीयल सर्विसेज
58.	इकबाल ब्रादर्श (प्रा.) लि.
59.	जयराज इंजी. वर्क्स
60.	के. एम. उद्योग
61.	जी. ई. थरमिट
62.	माडर्न रबर प्रोडक्टस
63.	माहेश्वरी लाईम वर्क्स
64.	नवभारत एक्सप्लोसिव कंपनी
65.	नवीन इंजी. वर्क्स
66.	ऋषि इंडस्ट्रीज
67.	सुवर्णरेखा इंटरप्राइजेज
68.	छोटानागपुर लिदर
69.	केरटिसी प्रिंटर्स
70.	डाइमेट इंटरप्राइजेज
71.	दीपक इंजी. कंपनी
72.	दीपक इंजी. वर्क्स
73.	यू.टी.एस. (इंडिया) प्रा.लि.
74.	प्रिंटवेल
75.	क्वालिटी इंजी. वर्क्स
76.	प्रकाश प्रिंटर्स
77.	कमल इंडस्ट्रीयल कंसर्न
78.	डाइमंड केमि. इंडस्ट्रीज
79.	स्क्वायर ट्रैडर्स

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

25. लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी)

25. अतिरिक्त सूचना

25.1 क्षमता, उत्पादन, भंडार और विक्रय

मालों की श्रेणी	इकाई	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता (प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा प्रमाणित)	वास्तविक उत्पादन
अ. उत्पादन गतिविधियाँ				
क. प्रमुख उत्पाद				
1. वायर बार	मी. टन	39400	39400	455
	”	(39400)	(39400)	(1945)
2. वायर रॉड	मी. टन	60000	60000	28003
	”	(60000)	(60000)	(30346)
3. कैथोड	मी. टन	47500	47500	30598
	”	(47500)	(47500)	(36575)
ख. गौण उत्पाद				
1. सोना	कि. ग्रा	264	698	195
	”	(264)	(698)	(354)
2. चाँदी	कि. ग्रा	4763	9868	3207
	”	(4763)	(9868)	(6178)
3. निकल सल्फेट	मी. टन	250	390	10
	”	(250)	(390)	(75)
4. सेलेनियम	कि. ग्रा	10000	14600	2357
	”	(10000)	(14600)	(6648)
5. गंधकाम्ल	मी. टन	236000	236000	20439
	”	(236000)	(236000)	(29004)
6. टेलुरियम	कि. ग्रा	अप्रयोज्य	—	31
	”	(अप्रयोज्य)	(—)	(65)

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

वर्ष 2003-2004

(गत वर्ष के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं)

खुला स्टॉक		बंद स्टॉक		बिक्री		आंतरिक उपयोग/ मध्यवर्ती उत्पादनों एवं अन्य प्रयोजन से निर्गमित मात्रा
मात्रा	मूल्य (रु.'000)	मात्रा	मूल्य (रु.'000)	मात्रा	मूल्य (रु.'000)	
7	804	1	206	461	62652	—
(470)	(60773)	(7)	(804)	(2366)	(307980)	(42)
1111	139555	1513	234992	27603	4088899	(3)
(493)	(63609)	(1111)	(139555)	(29707)	(3743573)	(20)
797	92723	770	90181	2080	308877	28544
(749)	(86325)	(797)	(92723)	(5114)	(604907)	(31413)
—	15	—	15	195	106217	—
(11)	(4448)	(—)	(15)	(364)	(190479)	(1)
1287	8748	—	1	4494	34944	—
(616)	(4329)	(1287)	(8748)	(5507)	(43001)	(—)
16	1810	6	543	20	2585	—
(30)	(2849)	(16)	(1810)	(89)	(9750)	(—)
730	296	—	—	3087	1374	—
(4607)	(3231)	(730)	(296)	(10525)	(4283)	(—)
3399	7228	4998	14074	17265	38029	1575
(7591)	(10843)	(3399)	(7228)	(30789)	(49092)	(2407)
34	79	—	—	65	151	—
(18)	(27)	(34)	(79)	(49)	(114)	(—)

25. लेखा पर टिप्पणियाँ *(जारी)*

25. अतिरिक्त सूचना

25.1 क्षमता, उत्पादन, भंडार और विक्रय

मालों की श्रेणी	इकाई	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता (प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा प्रमाणित)	वास्तविक उत्पादन
ग. सहबद्ध और आधे तैयार माल				
1. एनोड स्लाइम	मी. टन	अप्रयोज्य	—	47
	”	(अप्रयोज्य)	—	(45)
2. कॉपर खरादन	मी. टन	अप्रयोज्य	—	—
	”	(अप्रयोज्य)	—	(—)
3. कॉपर मोल्ड	मी. टन	अप्रयोज्य	—	38
	”	(अप्रयोज्य)	—	(59)
4. कायनाइट	मी. टन	अप्रयोज्य	—	—
	”	(अप्रयोज्य)	—	(—)
5. अन्य	मी. टन	अप्रयोज्य	—	—
	”	(अप्रयोज्य)	—	(—)
योग				

टिप्पणी :

* खुले स्टाक में गंधकाम्ल का रु. 5397 हजार एनोड मोल्ड का रु. 2695 हजार का मूल्य शामिल हैं, जिन्हें निर्माणाधीन कार्य में दिखाया गया है।

** बंद स्टॉक में गंधकाम्ल के रु. 12939 हजार (गत वर्ष रु. 5397 हजार) और एनोड मोल्ड के रु. 2695 हजार (गत वर्ष रु. 2695 हजार) और वायर बार मोल्ड के रु. 1834 हजार एवं लिबरेटर कैथोड के रु. 8429 हजार का मूल्य शामिल हैं, जिन्हें निर्माणाधीन कार्य में दर्शाया गया है।

*** रिवर्ट की रु. 330910 हजार (गत वर्ष 99732 हजार रु.) और अयस्क रु. शून्य हजार (गत वर्ष 3 हजार) की बिक्री छोड़कर।

लेखा की सारणियाँ

31 मार्च, 2004 को

वर्ष 2003-2004

(गत वर्ष के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं)

खुला स्टॉक		बंद स्टॉक		बिक्री		आंतरिक उपयोग/ मध्यवर्ती उत्पादनों एवं अन्य प्रयोजन से निर्गमित मात्रा
मात्रा	मूल्य (रु. '000)	मात्रा	मूल्य (रु. '000)	मात्रा	मूल्य (रु. '000)	
9	25413	43	124184	—	—	13
(6)	(10222)	(9)	(25413)	(—)	(—)	(42)
—	—	—	—	—	—	—
(1)	(88)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)
51	4529	51	4528	—	—	38
(51)	(4547)	(51)	(4528)	(—)	(—)	(59)
13	8	13	8	—	—	—
(13)	(8)	(13)	(8)	(—)	(—)	(—)
—	45186	—	9311	—	18210	—
(—)	(22994)	(—)	(45187)	(—)	(3848)	(—)
	326394*		478043**		4661938***	
	(274293)		(326394)		(4957026)	

25. अतिरिक्त सूचना

25.2 उपभुक्त कच्चा माल

	मात्रा		मूल्य	
	2003-2004 मी. टन	2002-2003 मी. टन	2003-2004 (रु.'000)	2002-2003 (रु.'000)
सांद्र निजी उत्पादन	118000	135481	2277971	2353674
निजी उत्पादन से इतर सांद्र	19249	23815	482297	613674
कैथोड	—	1508	—	164056

25.3 उपभुक्त आयातित एवं देशी कच्चे माल, भंडार-वस्तुएँ, अतिरिक्त पुर्जे एवं घटक (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

कच्चा माल :	%	%		
आयातित	100.00	78.26	482297	608628
देशी	0.00	21.74	—	169101
	100.00	100.00	482297	777729
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे : (खान विकास में दर्ज प्रत्यक्ष और भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे, शट डाउन और ऊर्जा एवं ईंधन)				
आयातित	3.05	2.19	27168	22010
देशी	96.95	97.81	863919	984427
	100.00	100.00	891087	1006437

25.4 आयात का लागत बीमा एवं भाड़ा मूल्य

कच्चा माल	456831	447532
घटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं भंडार वस्तुएँ	21381	51364
	478212	498896

25.5 विदेशी मुद्रा व्यय :

यात्रा	723	—
विज्ञापन	48	—
अन्य	58	—
	829	—

25. अतिरिक्त सूचना

		2003-2004	2002-2003
		रु. '000	रु. '000
25.6	विदेशी मुद्रा की आय		
	मालों का निर्यात (निःशुल्क पोत लदान)	200,931	99,732
		200,931	99,732
25.7	पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान		
	वेतन एवं भत्ते	521	759
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान	62	91
	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	28	14
	छुट्टी नकदीकरण	163	—
	उपदान	104	—

टिप्पणी :

इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के तहत निजी प्रयोजन से आने-जाने के लिए कंपनी की गाड़ी तथा रहने के लिए घर दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भाड़ा वसूल किया जाता है।

31 मार्च, 2004 को टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं पर पूँजीगत व्यय

(रु. '000)

आस्तियाँ	31.03.03 तक कुल व्यय	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन/ समायोजन	31.03.04 तक कुल व्यय	31.03.2004 तक मूल्य ह्रास	31.03.2004 तक ह्रासोत्तर मूल्य
भूमि	14163	—	14163	742	13421
सड़कें और पुल	22965	(-)1488	21477	7734	13743
ड्रेनेज, सीवरेज और जलापूर्ति	80486	(-)3512	76974	25417	51557
अस्पताल के क्वार्टर एवं अन्य सहित टाउनशिप की इमारतें	433091	23705	456796	154857	301939
विद्यालयों एवं चिकित्सालयों की इमारतें	42091	(-)12	42079	14703	27376
विद्युत संस्थापन एवं विद्युतीकरण	31784	80	31864	15927	15937
अस्पताल के उपकरण	18606	(–) 1133	17473	11888	5585
अस्पताल, विद्यालय एवं अतिथिगृह के फर्नीचर	5426	—	5426	4903	523
	648612	17640	666252	236171	430081

31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि का सामाजिक उपरिव्यय जिसमें टाउनशिप व्यय भी शामिल है

(रु. '000)

		2003-04	2002-03
टाउनशिप :			
प्रशासन एवं अनुरक्षण व्यय :			
कर्मचारियों के वेतन एवं लाभ	24144		24321
विद्युत, ईंधन और जल	175518		195669
भंडार वस्तुओं का उपभोग/मरम्मत एवं अनुरक्षण	4374		5710
मूल्यह्रास	19202		8024
अन्य	5980		7504
		229218	241228
घटाएँ :			
टाउनशिप आय		45112	44906
टाउनशिप पर शुद्ध व्यय		184106	196322
अन्य सामाजिक उपरिव्यय :			
विद्यालय का अनुरक्षण एवं शैक्षणिक सुविधाएँ	10288		13312
घटाएँ : प्राप्तियाँ	—		—
		10288	13312
चिकित्सा सुविधाएँ	67027		78991
घटाएँ : प्राप्तियाँ	1537		1698
		65490	77293
कर्मचारी कल्याण		10613	13246
अन्य सामाजिक उपरिव्यय पर शुद्ध व्यय		86391	103851
कुल व्यय		270497	300173

तुलन पत्र का सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

(राशि '000 रु.)

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण सं. | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | राज्य कोड | 2 | 1 |

तुलन पत्र दिनांक | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |

II. आलोच्य वर्ष में पूँजी की उगाही

पब्लिक इश्यू | | शू | न्य | राइट्स इश्यू | | शू | न्य |

बोनस इश्यू | | शू | न्य | निजी व्यवस्था | | शू | न्य |

III. कोषों के संचालन तथा प्रसार की स्थिति

कुल देयता | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | कुल आस्तियाँ | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 |

निधि के स्रोत

अभिदत्त पूंजी | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | प्रारक्षित एवं अधिशेष | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 |

| 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | * |

* भारत सरकार से प्राप्त शेयर राशि जिसका ईक्विटी शेयरों में आबंटन होना है

जमानती ऋण | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | गैर जमानती ऋण | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 |

कोषों का विनियोजन

शुद्ध स्थायी आस्तियाँ | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | निवेश | 2 | 1 |

शुद्ध चालू आस्तियाँ | | (| 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |) | विविध व्यय | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |

संचयी घाटा | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 |

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन

कारोबार | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | * | कुल व्यय | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 |

कर पूर्व लाभ/(हानि) | | (| 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 |) | करोत्तर लाभ/(हानि) | | (| 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 |) |

प्रति शेयर आय (रु. में) | (-)1.55 | लाभांश दर (%) | | शू | न्य |

* इसमें अन्य आय तथा आंतरिक निर्गम भी शामिल हैं।

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के वर्गीय नाम

(i) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) | 7403.12 |
उत्पाद का विवरण | कॉपर वायर बार |

(ii) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) | 7407.10 |
उत्पाद का विवरण | कॉपर वायर रॉड |

(iii) मद कोड सं. (आईटीसी कोड) | 7403.11 |
उत्पाद का विवरण | परिष्कृत कॉपर कैथोड |

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी की स्थिति का विवरण

(रु. '000)

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 32 के अनुसार

क. प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी :			
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)			(561,598)
हेतु समायोजित :			
मूल्यह्रास		177,316	
प्रभारित प्रावधान		125,571	
पुनरांकित प्रावधान		(4,723)	
प्रभारित ब्याज		596,242	
ऋण परिशोधन		413,495	
ब्याज से आय		(29,248)	
बट्टे खाते डाले गए स्वै.से.नि.व्यय		1,267,494	
भारत सरकार के उपभुक्त सहायता अनुदान		(1,267,494)	
स्थायी आस्तियों के निपटान से लाभ		(3,101)	1,275,552
कार्यकारी पूँजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)			713,954
हेतु समायोजित :			
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में वृद्धि		(117,708)	
मालसूची में वृद्धि		(17,680)	
ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि		(47,566)	
व्यावसायिक देयताओं एवं प्रावधानों में ह्रास		(270,615)	(543,569)
प्रचालनों से प्राप्त नकदी			260,385
प्रदत्त ब्याज			(599,166)
असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी			(338,781)
स्वै.से.नि. पर व्यय			(1,267,494)
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान			250,000
असाधारण मदों के बाद प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(क)		(1,356,275)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से प्राप्त नकदी :			
स्थायी आस्तियों की खरीद		(68,390)	
शट डाउन पर व्यय		(33,711)	
स्थायी आस्तियों की बिक्री		9,324	
निवेशों की बिक्री		1	
प्राप्त ब्याज		36,417	
खान विकास व्यय		(267,398)	
निवेशात्मक गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(ख)		(323,757)
ग. वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी :			
भारत सरकार से प्राप्त शेयर राशि		1,138,400	
सुरक्षित ऋण में वृद्धि		229,451	
14.00% सुरक्षित डिबेन्चरों की प्रतिदेयता		(125,000)	
15.00% सुरक्षित बांडों की प्रतिदेयता		(200)	
14.75% सुरक्षित डिबेन्चरों की प्रतिदेयता		(36,810)	
14.00% असुरक्षित डिबेन्चरों की प्रतिदेयता		(10,000)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	(ग)		1,195,841
नकद एवं नकद पर्यायों में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग)		(484,191
नकद एवं नकद पर्याय - प्रारंभिक शेष			(106,651)
नकद एवं नकद पर्याय - अन्तिम शेष (विवरण अनुलग्नक-क में)			(590,842)

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

राणा सोम	कार्य. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आर. के. भार्गव	निदेशक
सी. एस. सिंधी	कंपनी सचिव

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता

नकदी की स्थिति का विवरण *(जारी)*

(रु. '000)

अनुलग्नक - क

नकद एवं नकद पर्याय - 01.04.2003 को प्रारंभिक अधिशेष

i)	नकद एवं बैंक जमा	1,288,219
ii)	नकद उधार जमा	(1,394,870)
		(106,651)

नकद एवं नकद पर्याय - 31.03.2004 को अंतिम अधिशेष

i)	नकद एवं बैंक जमा	170,294
ii)	नकद उधार जमा	(761,136)
		(590,842)

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
"ताम्र भवन"
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
कोलकाता - 700 019

हमने 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की नकद स्थिति से संबंधित विवरण की परीक्षा कर ली है। कंपनी द्वारा यह विवरण स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध की उपधारा 32 के तहत तैयार किया गया है और यह कंपनी के लाभ-हानि लेखा और तुलनपत्र के आधार पर एवं इनके अनुसार कंपनी के सदस्यों को प्रतिवेदित हमारी 26 अगस्त, 2004 की रिपोर्ट के अनुसार है।

कृते दिनेश मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार

हिरेन मेहता
साझेदार

कृते एम.सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम.आर. जैन
साझेदार

दिनांक : 26 अगस्त, 2004
स्थान : कोलकाता